

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) Solar Energy Corporation of India (A Government of India Enterprise)

Dated: 19th December, 2013

Ref: SECI/PS/PTL/2013/

To The Secretary Central Electricity Regulatory Commission 3rd and 4th Floor, Chandralok Building 36, Janpath New Delhi – 110 001

Sub: Submission of affidavit about no loan and/or advances to any associate or subsidiary company and Annual Report for the year 2012 - 13

Ref: Our application ref: SECI/PS/PTL/2013/1149/dated: 29.10.2013 for grant of Inter-State Power Trading Licence

Dear Sir,

With reference to our application for the Grant of Inter-State Power Trading Licence, Solar Energy Corporation of India (SECI) is pleased to submit the affidavit regarding no Ioan and/or advance to any associate or subsidiary company of SECI as on 30th September, 2013 and Annual Report for the year 2012 – 13 which includes Directors' Report, Auditors' Report, Annual Accounts, Notes to the Financial Statements for the year ended on 31st March, 2013.

The additional submissions made as above, have also been duly published on our website www.seci.gov.in

We will be pleased to provide any further information as may be required by the Honourable Commission.

With regards,

Yours sincerely,

19.12.2013

(Atulya Kumar Naik) Addl. General Manager (Power Systems)

Encl. As above (1 original + 9 Sets)





सत्यमेव जयते

Certificate No. Certificate Issued Date Account Reference Unique Doc. Reference Purchased by Description of Document Property Description Consideration Price (Rs.)

First Party Second Party Stamp Duty Paid By Stamp Duty Amount(Rs.)



INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

IN-DL98912921313677L 18-Dec-2013 10:44 AM IMPACC (IV)/ dl719103/ DELHI/ DL-DLH SUBIN-DLDL71910395686707286750L SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA : Article 5 General Agreement NA 0 (Zero) SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA NA SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA 10-(Ten only) व जयत



Certificate and as

AFFIDAVIT ABOUT SUBMISSION OF ADDITIONAL INFORMATION

OTARI BEFORE THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, NEW DELHI Archann Shaffellof

Please write or type below this line___

DELHI Application for grant of Inter-State Power Trading Licence to Solar Energy Corporation of India 4SECD at NBCC Plaza, Tower - I, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector V, Saket, New Delhi

Jall

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". available on the website renders it invalid.
 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Affidavit

I, Atulya Kumar Naik, S/o Shri Khirod Chandra Naik, aged 45 years, being the Additional General Manager (Power Systems) of Solar Energy Corporation of India having registered office at NBCC Plaza, Tower – 1, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector V, Saket, New Delhi – 110 017, do hereby affirm that SECI does not have any associate or subsidiary company. Therefore, there is no loan and/or advance to any associate or subsidiary company as on 30th September, 2013. I also hereby submit Annual Report for the year 2012 – 13, which includes Directors' Report, Auditors' Report, Annual Accounts, Notes to the Financial Statements for the year ended on 31st March, 2013.

Verification

I, deponent named above hereby solemnly affirm that the contents of my above affidavit are true to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

Verified by me on this 19th day of December 2013, at New Delhi.





Attested by me

Depone

ew Delhi

Deponer

2nd Annual Report 2012-13

द्वितीय

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13



सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) Solar Energy Corporation of India (A Government of India Enterprise)

निद्रेशक मण्डल BOARD OF DIRECTORS



डा. अनिल काकोडकर अध्यक्ष Dr. Anil Kakodkar Chairman



तरूण कपुर प्रबंध निदेशक Tarun Kapoor Managing Director



डा. अश्विनी कुमार निदेशक (सौर) Dr. Ashvini Kumar Director (Solar)



राकेश कुमार निदेशक (विद्युत तंत्र) Rakesh Kumar Director (Power Systems)



सी. कन्नन निदेशक (वित्त) C.Kannan Director (Finance)



राजीव भारद्वाज निदेशक (मानव संसाधन) Rajeev Bhardwaj Director (HR)



ए.एन. श्रीवास्तव निदेशक (एनएसएम) A.N.Srivastava Director (NSM)

विषय—सूची ¦ CONTENTS

1.	अध्यक्षीय संबोधन CHAIRMAN'S STATEMENT	02
2.	सूचना NOTICE	04
3.	निदेशकों की रिपोर्ट 2013 DIRECTORS' REPORT 2013	05
4.	नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां C&AG COMMENTS	10
5.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट STATUATORY AUDITORS' REPORT	11
6.	तुलन पत्र BALANCE SHEET	13
7.	आय और व्यय विवरण STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE	14
8.	अनुबंध ANNEXURES	15

कंपनी सचिव	: पी.एस.आर. मूर्ति	Company Secretary :	P. S. R. Murthy
सांविधिक लेखा परीक्षक	: सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेट्स, नई दिल्ली	Statutory Auditors :	Sood Brij & Associates Chartered Accountants, New Delhi
बैंकर्स	: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक	Bankers :	State Bank of India Union Bank of India Axis Bank
पंजीकृत कार्यालय	एन.बी.सी.सी प्लाज़ा, टावर—1, चतुर्थ तल, साकेत, नई दिल्ली—110017	Registered Office :	NBCC Plaza, Tower-I, IVth Floor, Saket, New Delhi- 110017

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 ¦ Annual Report 2012-13

अध्यक्षीय संबोधन CHAIRMAN'S STATEMENT



प्रिय सदस्यगण,

मैं भारतीय सौर ऊर्जा निगम की आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को होने वाली द्वितीय वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ष 2012–13 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे आपके पास उपलब्ध हैं और आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए। निदेशकों की रिपोर्ट में उन विभिन्न कार्यकलापों को शामिल किया गया है जो हमारी कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किए जा रहे हैं, वहीं मैं कंपनी के महत्व के पहलुओं से संबंधित कुछ विस्तृत बिन्दुओं की चर्चा करना चाहूंगा।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) को कार्यान्वित करने हेतु की गई जिसका उद्देश्य हमारे देश में निम्न कार्बन पर शाश्वत ऊर्जा सुरक्षा प्रपथ (ट्रैजेक्ट्री) की शुरुआत करना है। यह स्पष्ट है कि हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा संबंधी मांग, जिसके एक बड़े हिस्से को आयात द्वारा पूरा किया जाना है और जीवाम ऊर्जा के मूल्य में निरंतर वृद्धि होने की संभावना है, के एक बड़े भाग को सौर ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों के रुझानों से संकेत मिलता है कि सौर ऊर्जा ग्रिड समानता को प्राप्त करने ही वाली है। इसके प्राप्त हो जाने तथा सौर ऊर्जा व्यवसाय के सहज रूप से लाभदायक बन जाने पर सौर ऊर्जा की संस्थापना के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक निवेश किए जाने तथा इसके आत्म निर्भर होने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार सेकी को सरकार की ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन को पूरा करना है और इसका भविष्य उदीयमान है।

कंपनी अभी अपने विकास काल में है। हमारे पास अभी 26 लोगों की टीम है जिसमें क्रमिक रूप से और लोगों के शामिल होने की आशा है। सेकी के प्रचालनों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य सक्षमता को सतत् रूप से विकसित करने हेतु एक लक्ष्य—उन्मुखी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। सभी कार्यकारी निदेशकों ने कार्य आरंभ कर दिया है। पूर्ण—कालिक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हो गई है और उनके द्वारा शीघ्र ही कार्य ग्रहण किए जाने की संभावना है। शीर्ष पद पर नियुक्ति होने से यह आशा की जा सकती है कि कंपनी अपेक्षाकृत अधिक तेजी से प्रगति करेगी और नई संभावनाओं की तलाश की जाएगी।

कंपनी के पास अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसाकि निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। जैसाकि देखा जा सकता है कई कार्य क्षेत्र शुँरू किए गए हैं। इनमें वृहत आकार के एसपीवी संयंत्र, सीएसपी प्रायोगिक परियोजनाएं, सौर पार्कों का विकास, ग्रिड–संबद्ध रूफटॉप, ग्रामीण माइक्रो ग्रिड, सौर लालटेन, जल/वायु तापन प्रणालियां, सड़क रोशनी, तथा अन्य ऑफ–ग्रिड प्रणालियां शामिल हैं। इनमें से कुछ के फलीभूत होने से कंपनी की राजस्व प्राप्ति के वांछित स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

कई ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिन्हें भविष्य में आरंभ किया जाना है जबकि वर्तमान में जिन क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं उनका विस्तार भी जारी है । सौर पंप, औद्योगिक तापन, ग्रामीण माइक्रो–ग्रिड पीवी आपूर्ति को बायोमिथेन / पवन ऊर्जा के साथ मिश्रित करना और सौर ऊर्जा कार्यकलापों को ग्रामीण / आदिवासी आजीविका के साथ जोड़ना ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि वे अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं ।

Dear Members,

I extend a warm welcome to all of you to the 2nd Annual General Meeting of Solar Energy Corporation of India being held today, the 27th August, 2013. The audited annual accounts along with the report of Auditors and Directors' report for the year 2012-13 are already with you and with your permission, I take them as read. While Directors' Report covers various activities in which the Company has been engaged during the year, let me deal with a few broader points concerning aspects of importance to the Company.

Solar Energy Corporation of India (SECI) was established to implement Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) that is aimed at launching our country on a low carbon, sustainable energy security trajectory. It is clear that meeting our growing energy needs when increasing fraction of it may have to be met by imports and fossil energy prices are expected to be continuously rising, would require increasing share to be met by solar energy. The trends in last couple of years indicate that solar energy is about to reach grid parity. Once that is reached and solar energy business becomes inherently profitable, one should expect larger investments flowing in and solar energy deployment becoming self propelled. SECI thus has a very important national mission to deliver on behalf of the Government and a very promising future.

The Company is in its formative years. We now have a team of 26 people with more to join in a progressive manner. A goal oriented human resource development programme is also being put in place to continually enhance the core competence in areas of importance to SECI operations. All functional Directors are now in place. Appointment for the full time Managing Director has been made and we expect him to join shortly. With leadership layer in place, we can expect the company to make faster progress and explore newer avenues.

The company has now some important assignments as mentioned in the Directors' report. As may be seen, several work areas have been initiated. These include large size SPV plants, CSP pilots, development of solar parks, grid connected roof tops, village micro grids, solar lanterns, water/air heating systems, street lights and other off grid systems. With some of these fructifying one would expect the revenue stream for the company would pick up at the required level.

There are several other work areas that could be picked up in future even as we expand on areas we are presently working on. Solar pumps, industrial heating, hybridising village micro-grid PV supply with bio-methane / wind energy and linking solar energy activity with rural/tribal livelihood are some areas that should be picked up since they can significantly contribute to the economy and livelihood of people.



सौर ऊर्जा में घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मात्रा तथा अपेक्षाकृत अधिक प्रमुख रूप से संपूर्ण कवरेज की दृष्टि से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। देश के संपूर्ण ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा की बढ़ती हुई हिस्सेदारी के साथ यह महत्वपूर्ण है कि देश के भीतर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में मूल्यवर्धन की अधिकतम हिस्सेदारी हो। इसके लिए सरकार की ओर से समुचित कार्यनीतियों और नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता है। सेकी को इन प्रयासों में प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्पों का चयन करने के साथ–साथ कार्यान्वयन की दृष्टि से शामिल होने पर प्रसन्नता होनी चाहिए जोकि कंपनी के दीर्घकालिक हित में है।

एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण पहलू कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो का निर्माण करना है जो उभरते हुए बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित अंतराल पर नए उत्पाद शुरु करने में समर्थ बना सके। कस्टमीकृत उत्पादों की आवश्यकता वाले बाजार क्षेत्र के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सेकी को एक गैर लाभ अर्जक सरकारी कंपनी होने के नाते सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान और विकास का औद्योगिक स्तर के अनुप्रयोगों में समन्वयन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। हमें सरकार की प्रतिस्पर्धी सहयोग योजना के अंतर्गत उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के सहयोग से प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। विशेष रूप से कुछ भारत विशिष्ट आवश्यकताएं, जैसे –हाई डस्ट लोड तथा रेत अपघर्षण और पानी की अनुपलब्धता, हैं, जिनके कारण देश के भीतर इस प्रकार के विकास की आवश्यकता बढ़ जाती है। वाणिज्यिक सौर तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु घरेलू सक्षमता विकसित करने की कार्य नीति के एक भाग के रूप में सेकी को सौर तापीय विद्युत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पार्क स्थापित करने में भागीदारी करने की प्रतीक्षा है। हम उसके लिए आवश्यक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस वर्ष उत्तराखंड राज्य में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई जिस कारण कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई और कई लोग लापता हैं। हम प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच विसंगत असंतुलन के प्रभाव को समझना होगा। सौर ऊर्जा निश्चय ही एक ऐसा साधन है, जो उस संतुलन को पुनः कायम कर सकता है और सेकी द्वारा प्रकृति अनुकूल सतत् विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखा जाएगा ।

धन्यवाद

आपका.

Maladku

डा. अनिल काकोडकर अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 27 अगस्त, 2013 Domestic supply chain in solar energy needs to be expanded both in terms of volume and more importantly in terms of its complete coverage. With solar energy occupying increasing share in the overall energy mix in the country, it is important that maximum share of value addition in the entire supply chain takes place within the country. This requires appropriate strategies and policy decisions driven by the Government. SECI should be happy to participate in these efforts, both in terms of making technology choices as well as implementation, in the long term interest of the company.

Another important aspect from a long term perspective is to build a technology portfolio for the company that would enable bringing out new products at regular intervals in accordance with the needs of emerging markets. For the market segment requiring customised products this is crucially important. SECI being a not for profit Government Company should be integrated in the co-ordination and translation of public funded R&D into industrial scale applications. We should also think of development of technology products by the industry in association with R&D laboratories under a competitive support scheme of the Government. In particular there are some India specific requirements like high dust load and sand abrasion resistance and non availability of water which would necessitate such development within the country. As a part of strategy to develop domestic capability for establishing commercial solar thermal power plants, SECI is looking forward to participating in setting up of a solar thermal power technology demonstration park. We are looking forward to requisite approvals for the same.

This year the State of Uttarakhand was severely hit by catastrophic floods and landslides during the peak of annual pilgrimage season causing severe loss of life and dislocation of people. We express our condolences and sympathy with the affected people.

We need to recognise the impact of disproportionate disequilibrium between man and the nature. Solar energy is surely a means to restore that equilibrium and SECI would continue to play increasing role in nature friendly sustainable development.

Thanking you,

Yours sincerely.

Olaladku

Dr. Anil Kakodkar Chairman

Place : New Delhi Dated: 27th August 2013



बैठक संबंधी सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम के सदस्यों की द्वितीय वार्षिक आम बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2013 को अपराहन 5.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एनबीसीसी प्लाजा, चतुर्थ तल, टावर–1, साकेत, नई दिल्ली–110017 में होगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

सामान्य कामकाज

 31 मार्च, 2013 तक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय सहित उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और स्वीकार करना ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(पी.एस.आर मूर्ति) कंपनी सचिव

नई दिल्ली 27 अगस्त, 2013

नोटः

 बैठक में शामिल होने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में शामिल होने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी (प्रॉक्सी) नियुक्त करने का अधिकार है और परोक्षी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

NOTICE OF THE MEETING

Notice is hereby given that Second Annual General Meeting of Members of the Solar Energy Corporation of India is scheduled to be held on 27th August 2013 at 1700 hrs in the Registered Office of the Company at NBCC Plaza, 04th Floor, Tower-1, Saket, New Delhi – 110 017 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2013 and Income and Expenditure for the financial year ended on that date together with Report of the Board of Directors and Auditors thereon.

By Order of the Board of Directors

1.11.E

(P.S.R.Murthy) Company Secretary

New Delhi 27th August 2013

NOTE:

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself/herself and proxy need not be a Member.



निदेशकों की रिपोर्ट 2013

प्रिय सदस्यगण,

निदेशकों को लेखाओं के लेखा–परीक्षित विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

जैसा कि हमने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि इस निगम की स्थापना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (जेएनएनएसएम) के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु किया गया है । जेएनएनएसएम का उद्देश्य पूरे देश में सौर ऊर्जा का जितनी तेजी से संभव हो सक बड़े पैमाने पर प्रसार करने के लिए नीतिगत परिस्थितियों का सृजन करके भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी स्थान पर लाना है । मिशन द्वारा अन्य लक्ष्यों के साथ—साथ वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट की ग्रिड—संबद्ध सौर विद्युत क्षमता की संस्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे 3 चरणों (प्रथम चरण वर्ष 2012—13 तक, द्वितीय चरण वर्ष 2013 से 2017 तक तथा नृतीय चरण वर्ष 2017 से 2022 तक) में प्राप्त किया जाना है ।

आरंभ की गई परियोजनाएं

वर्ष 2012–13 निगम का पहला पूर्ण वित्तीय वर्ष है । वर्ष 2011–12 के लिए प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में निगम द्वारा वर्ष के दौरान आरंभ किए गए विभिन्न परियोजना कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया था । तत्पश्चात् कुछ नए कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं । इन कार्यकलापों में से प्रत्येक में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

चल रही परियोजनाएं

 वीजीएफ वित्तपोषण माध्यम के अंतर्गत 750 मेगावाट की एसपीवी ग्रिड-संबद्ध परियोजनाएं

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण–। के कार्यान्वयन की सफलता को देखते हुए मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं, जैसे– उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) और बंडलिंग योजनाओं के साथ चरण–।। की योजना तैयार की गई।

मंत्रालय का चरण– । । के बैच– । के अंतर्गत 750 मेगावाट का प्रस्ताव है । मंत्रालय द्वारा सेकी को बैच– । के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जा रहा है । इस कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं (क) बिडिंग प्रलेखों को तैयार करना, निविदाकरण और बोलीकर्ताओं का चयन (ख) परियोजनाएं आवंटित करना, इनके कार्यान्वयन की निगरानी रखना (ग) वीजीएफ जारी करना और सौर विद्युत विकासकर्ताओं के साथ विद्युत खरीद करार (पीपीए) संपन्न करना । विकासकर्ताओं के साथ पीपीए पर 5.45 रू. / किलोवाट घंटा पर हस्ताक्षर किया जाएगा । पीपीए 25 वर्षों के लिए वैध होंगे । बदले में सेकी को भी खरीदी गई बिजली को पीएसए के माध्यम से बेचने की आवश्यकता होगी ।

बोली (बिड) संबंधी प्रलेख प्रकाशित किए गए जिनमें विभिन्न विकासकर्ताओं से टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

2. ग्रिड–संबद्ध रूफटॉप योजना

एमएनआरई द्वारा सेकी को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से 30% सहायता के अंतर्गत एक 16.6 मेगावाट की ग्रिड–संबद्ध रूफटॉप प्रायोगिक परियोजना (100 किलोवाट–500 किलोवाट) के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है । इस कार्यक्रम को 6 नगरों, अर्थात् दिल्ली, गुड़गांव, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, बंगलुरू में कार्यान्वित किया जाना है।

योजना के चरण– । के अंतर्गत, 4 नगरों, बंगलुरू (2 मेगावाट), चेन्नई (2 मेगावाट), दिल्ली (1 मेगावाट) और गुड़गांव (0.5 मेगावाट) में कुल 5.5 मेगावाट क्षेत्र हेतु चुनिंदा बोलीकर्ताओं को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं । चुने गए विकासकर्ताओं द्वारा स्थलों की पहचान करना और परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है । अभी तक कुल मिलाकर 1.93 मेगावाट क्षमता के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

चरण— ।। के अंतर्गत, 6 नगरों, नामतः भुवनेश्वर (1 मेगावाट), रायपुर (2 मेगावाट), जयपुर (3.1 मेगावाट), नोएडा और ग्रेटर नोएडा (1.5 मेगावाट), गुड़गांव (1.5 मेगावाट) और हैदराबाद (2 मेगावाट) में कुल

DIRECTORS' REPORT 2013

Dear Members,

Your Directors are pleased to present Second Annual Report of the Company for the year ended 31st March 2013 along with the Audited Statement of Accounts, Report of Auditors and Comments of Comptroller and Auditor General of India.

As we stated in our First Annual Report, your Corporation was established to fulfil the objectives of the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM).The objective of JNNSM is to establish India as a global leader in solar energy, by creating the policy conditions for its large scale diffusion across the country as quickly as possible. The Mission has set a target, amongst others, for deployment of grid connected solar power capacity of 20,000 MW by 2022 to be achieved in 3 phases (first phase up to 2012-13, second phase from 2013 to 2017 and the third phase from 2017 to 2022).

PROJECTS INITIATED

The year 2012-13 is the first Full Financial Year of the Corporation. In the First Annual Report for the year 2011-12, the Corporation had outlined various Project activities initiated during the year. Subsequently, new activities have also been taken up. We report progress on each of these activities as under.

I. ON-GOING PROJECTS

1. 750 MW SPV grid-connected projects under VGF funding route

Following successful Implementation of Phase-I of Jawaharlal Nehru National Solar Mission, the Ministry planned Phase-II with combination of various schemes like Generation Based Incentive (GBI), Viability Gap Funding (VGF) and Bundling schemes.

The Ministry proposes 750 MW under Batch-I of Phase-II. SECI is being designated as nodal agency by the Ministry for implementation of Batch-I. The job involves (a) preparation of bidding documents, tendering and selection of bidders (b) awarding, monitoring the execution of Projects (c) release of VGF and entering into a Power Purchase Agreement (PPA) with Solar Power Developers. The PPAs shall be signed with the Developers at Rs 5.45/kwh. The PPAs will be valid for a period of 25 years. In turn SECI will also be required to sell the purchased power through PSAs.

The draft bid documents were published inviting comments from various Developers.

2. Grid Connected Roof-top Scheme

SECI has been entrusted by MNRE for implementation of a 16.6 MW grid connected rooftop pilot project (100kW-500kW), under 30% support from National Clean Energy Fund (NCEF). The programme is to be implemented in 6 cities, namely, Delhi, Gurgaon, Raipur, Bhubaneswar, Chennai, Bengaluru.

Under Phase-I of the scheme, allocation letters have been issued to the selected bidders for an aggregate capacity of 5.5 MW in 4 cities viz. Bengaluru(2 MW) Chennai (2 MW), Delhi(1 MW) and Gurgaon (0.5 MW). Selected developers are to identify sites and submit project proposals. So far, project proposals totalling 1.93 MW capacity have been submitted.

Under Phase-II, an aggregate capacity of 11.1 MW is proposed in 6 cities, namely, Bhubaneswar (1 MW), Raipur (2 MW), Jaipur (3.1 MW), Noida & Greater Noida (1.5 MW),



वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 ¦ Annual Report 2012-13

11.1 मेगावाट क्षमता का प्रस्ताव है |

चरण–।। के लिए बोलियों (बिड्स) का मूल्यांकन प्रगति पर है कम–लागत की सौर लालटेनों का विकास और विक्रय

3. कम—लागत की सौर लालटेनों का विकास और विक्रय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दो वर्षों की अवधि में 6 लाख सौर लालटेनों की आपूर्ति और वितरण करने के लिए एमएनआरई की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसमें दो मॉडल अर्थात् एकदिशीय और सर्वदिशीय मॉडल शामिल हैं। मूल्य की बोलियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वितरण के क्षेत्र में कई मॉडलों पर कार्य किए जा रहे हैं जैसे– पीएसयू की सीएसआर निधियां, राज्य नोडल एजेंसियां तथा स्थानीय जिला प्रशासन और तेल क्षेत्र के पीएसयू के वितरण चैनल।

सीएसआर निधियों के अंतर्गत ओएनजीसी द्वारा लगभग 2.72 लाख लालटेन खरीदने तथा पीएफसी द्वारा 7500 लालटेन खरीदने पर सहमति व्यक्त की गई है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी सीएसआर निधियों के अंतर्गत उत्पाद खरीदने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के स्कूलों में सौर जल तापन प्रणालियों (एसडब्ल्यूएचएस) की संस्थापना

सेकी और एनवीएस के बीच 25 स्कूलों में एसडब्ल्यूएचएस तथा 5 स्कूलों में सौर वायु तापन प्रणालियों (एसएएचएस) की संस्थापना करने संबंधी समझौता ज्ञापन के अनुसार एसडब्ल्यूएचएस के लिए डीपीआर तैयार किए गए और एनवीएस को भेजे गए । एसएएचएस के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। कार्य को निष्पादित करने हेतु निविदाओं को एनवीएस के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

 ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मिनी/माइक्रो ग्रिड परियोजनाओं का विकास

सेकी द्वारा उन क्षेत्रों, जो ग्रिड से जुड़े नहीं हैं, को शामिल करते हुए सौर पीवी के माध्यम से मिनी / माइक्रो ग्रिड परियोजनाओं (5 किलोवाट से 25 किलोवाट क्षमता तक की) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सीएसआर निधिकरण के अंतर्गत, पीएफसी द्वारा 3.84 करोड़ रू. (5.82 करोड़ रू. की परियोजना लागत का 70%) का वित्तपोषण करने संबंधी प्रस्ताव पर अनापत्ति दे दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों का सूचीकरण करने हेतु अनुरोध प्रकाशित किया गया है। हरियाणा के तीन गांवों के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है।

सौर सड़क रोशनी की स्थापना

पीएफसी द्वारा सीएसआर के कार्यकलापों के अंतर्गत झारखंड में 104.5 लाख रू. की लागत पर 500 सौर स्ट्रीट लाइटों के वित्तपोषण संबंधी प्रस्ताव को अनापत्ति प्रदान की गई है । स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना हेतु अंतिम स्थानों के नाम प्राप्त हो गए हैं और निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।

पीएफसी और सेकी के बीच एमओए का मसौदा तैयार किया गया है और प्रलेख को अंतिम रूप देने के लिए पीएफसी के साथ विचार–विमर्श प्रगति पर है।

II. आगामी परियोजनाएं

1. अल्ट्रा—मेगा ग्रीन सोलर पावर परियोजना

सांभर साल्ट्स लि., जो कि हिंदुस्तान साल्ट्स लि. और राजस्थान सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, के पास लगभग 16000–17000 एकड़ अतिरिक्त जमीन है जो 3000–4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापना करने हेतु पट्टे (लीज) पर दी जा सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एचएसएल की 22% तथा शेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 26% अथवा कोई अन्य प्रतिशतता जो अंतिम रूप से उभर कर आए, की प्रस्तावित इक्विटी भागीदारी के साथ एचएसएल, बीएचईएल, भारतीय सौर ऊर्जा निगम तथा किसी अन्य पीएसयू को शामिल कर एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन कर उक्त अतिरिक्त जमीन में अल्ट्रा–मेगा हरित सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में सेकी की स्वीकृति मांगी गई है। चरण–। में 1000 मेगावाट संस्थापना का प्रस्ताव है। बीएचईएल से संबंधित मसौदा पीएफआर तैयार किया गया और एमएनआरई को भेजा गया । इस समय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच विचार–विमर्श प्रगति पर है। Gurgaon (1.5 MW) and Hyderabad (2 MW).

The evaluation of bids is in progress for Phase-II.

3. Development and Sale of Low-cost solar lanterns

MNRE scheme for supply and distribution of 6 lakh solar lanterns in a period of two years to the rural population is under implementation. The scope include two models i.e. Unidirectional and Omni directional. Price Bids are under finalisation.

On the distribution side, different models are being worked out such as CSR funds of PSUs, SNAs and local district administration and distribution channels of Oil PSUs

Under CSR funds, ONGC has expressed willingness to buy about 2.72 lakh lanterns and PFC has expressed willingness to purchase 7500 lanterns. Other PSUs are also being pursued to buy the product under CSR Funds.

4. Installation of Solar Water Heating Systems (SWHS) in Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) Schools

As per the MoU between SECI & NVS for installation of SWHS in 25 schools and Solar Air Heating Systems (SAHS) in 5 schools, DPRs for SWHS were prepared and submitted to NVS. DPRs for SAHS are under preparation.

Tenders for execution of work are under finalisation in consultation with NVS.

5. Development of Mini/Micro Grid projects for Rural Electrification

SECI is implementing mini/micro grid projects (consisting of 5 kW to 25 kW capacity) through Solar PV, covering areas which are not connected to the grid.

Under CSR funding, PFC has cleared the proposal for funding Rs.3.84 crore (70% of the project cost of Rs. 5.82 crore). Request for Empanelment of implementation agencies has been published. DPRs are under preparation for three villages in Haryana.

6. Installation of Solar Street Lights

PFC has cleared the proposal for funding installation of 500 solar street lights in Jharkhand under CSR activities at a cost of INR 104.5 lakhs. Final locations for installation of the streetlights have been received and tender documents are under preparation.

Draft MoA between PFC and SECI has been prepared and discussions with PFC are in progress for finalization of the document.

II. UPCOMING PROJECTS

1. Ultra-Mega Green Solar Power Project

Sambhar Salts Limited, a Joint Venture Company of Hindustan Salts Limited and Government of Rajasthan, has around 16000-17000 acres surplus land which can be leased for setting up of solar energy plants of 3000-4000 MW capacity. The Ministry of New and Renewable Energy sought formal acceptance from SECI for setting up of Ultra-Mega Green Solar Power Plant in the surplus salt land by forming a Joint Venture Company consisting of HSL, BHEL, Solar Energy Corporation of India and any other PSU with proposed Equity participation of 22% from HSL and 26% from rest of the PSUs or such percentage as may finally be emerging. In the Phase-I, 1000 MW set-up is proposed. Draft PFR in association with BHEL was prepared and submitted to MNRE. Presently discussions between Ministry of New and Renewable Energy and Ministry of Heavy Industry are in progress.



2. सौर पार्कों का विकास

सेकी द्वारा विभिन्न राज्यों में कुल 500 मेगावाट के 2 X 250 मेगावाट क्षमता के कम से कम दो सौर पार्कों को कार्यान्वित करने की योजना है। इस परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए एक प्रस्ताव एमएनआरई को भेजा गया है जिसे 350 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने हेतु आगे डीईए को भेजा जाना है।

उक्त योजनाएं / परियोजनाएं जेएनएनएसएम चरण– ।। के अंतर्गत वर्ष 2017 तक केंद्रीय / राज्य योजनाओं के माध्यम से परिकल्पित 9000 मेगावाट सौर विद्युत का एक भाग होंगी ।

3. ऑफ–ग्रिड कार्यक्रमों का वित्तपोषण

सेकी द्वारा ऑफ–ग्रिड सौर कार्यक्रम का कार्यान्वयन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किया जाएगा । वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करना तथा वित्त वर्ष 2013–14 और 2014–15 में जितना ऋण वे मंजूर कर सकते हैं, के वितरण के लिए एक अन्तिम लक्ष्य निर्धारित करना था।

6 बैंकों द्वारा लगभग 153 करोड़ रू. के वित्तीय लक्ष्य का संकेत किया गया है जिसे प्रस्तावित योजना तैयार करने तथा अनुदान अंश का वित्तपोषण करने हेतु इसे वित्त मंत्रालय को भेजने हेतु एमएनआरई को अग्रेषित किया गया है। एमएनआरई द्वारा एनसीईएफ वित्तपोषण हेतु प्रस्ताव भेजा गया था।

4. वीजीएफ वित्तपोषण के अंतर्गत सीएसपी प्रायोगिक परियोजनाएं

जेएनएनएसएम के अंतर्गत संसाधन की परिवर्तनशीलता तथा पानी की कमी से संबंधित समस्याओं का हल करने के लिए सीएसपी प्रायोगिक परियोजनाएं संस्थापित करने की परिकल्पना की गई है। एमएनआरई के प्रस्ताव के आधार पर, चार परियोजनाओं के लिए 1020 करोड़ रू. के एनसीईएफ वित्तपोषण को मंजूरी दी गई । इसके अतिरिक्त, आसान शर्तों पर ऋण के लिए एडीवी के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा था।

हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए अब उच्चतर क्षमता की दो परियोजनाओं (पूर्व में प्रस्तावित चार परियोजनाओं के स्थान पर) का प्रस्ताव है ताकि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता में वृद्धि लाई जा सके । इन परियोजनाओं का तकनीकी विन्यास हाईब्रिड कूलिंग तथा उच्च प्रचालन तापमान का समाधान करेगा । इन दोनों परियोजनाओं में तापीय भंडारण की कुछ मात्रा विद्यमान होगी । सहायक स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के प्रावधान का भी प्रस्ताव है । संशोधित तकनीकी विन्यासों की अभिपुष्टि एडीबी तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श करके की जा रही है।

5. जीआईजेड के समन्वयन के साथ सौर दिशा–निर्देश तैयार करना

सौर दिशा—निर्देश परियोजना के चरण—। का कार्यान्वयन जीआईजेड द्वारा किया गया था और दस राज्यों को शामिल करते हुए दूसरे चरण को सेकी द्वारा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के चरण—।। का कार्यान्वयन करने हेतु मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया। इस मामले पर मंत्रालय के साथ परामर्श किया जा रहा है।

इस बीच सेकी द्वारा सौर दिशा—निर्देश संबंधी वेबसाइट के सामग्री प्रबंधन की आंशिक जिम्मेदारी ली गई है।

दिल्ली में सौर विद्युत विकास संबंधी पहलें

सार्वजनिक भवनों, जैसे – योजना आयोग भवन, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, डीजेबी आदि में छतों के ऊपर उपलब्ध स्थानों (रूफटॉप स्पेस) का सर्वेक्षण किया गया और डीटीसी स्थलों पर पीवी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्व–संभाव्यता अध्ययन करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

आईएसबीटी तथा डीजेबी को एक पूर्व–संभाव्यता रिपोर्ट भेजी गई है और मामले पर विचार–विमर्श जारी है।

7. अनुसंधान और विकास

- क) सौर ऊर्जा केन्द्र में सौर विकिरण मापन सेंसर हेतु केलिब्रेशन सुविधा स्थापित करने के लिए अनुसंधान और विकास के कार्यान्वयन का प्रस्ताव शुरू हो गया है।
- ख) सौर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर एमएनआरई को सहायता।

2. Development of Solar Parks

SECI plans to implement at least two solar parks 2 x 250 MW totalling to 500 MW in different states. To finance the project, a proposal has been sent to MNRE for onward submission to DEA for getting World Bank support to the tune of USD 350 million.

The above schemes/ projects shall be a part of 9000 MW Solar Power envisaged through central/ State schemes up to 2017 under JNNSM Phase II.

3. Financing of off-grid programmes

SECI shall be implementing off-grid solar programme through commercial banks. A meeting was organized with commercial banks to take their feedback and also to get a tentative target for loan disbursement which they can sanction for FY 2013-14 & 2014-15.

Six banks have responded indicating financial target of about Rs.153 crore and the same has been forwarded to MNRE for preparing proposed scheme and forwarding it to MoF for funding the Grant Portion. MNRE had submitted the proposal for NCEF Funding.

4. CSP Pilot Projects under VGF funding

Under JNNSM, setting up of CSP Pilot Projects is envisaged addressing issues related to variability of resource and scarcity of water. Based on the proposal of MNRE, NCEF funding of INR 1020 crores was approved for four projects. Additionally, interaction with ADB for soft loan was being pursued.

Based on latest developments, it is now opined to have two projects (instead of four proposed earlier) with higher capacity to increase their commercial viability. The technical configuration of these projects will address to hybrid cooling and high operating temperature. Both the projects would have some amount of thermal storage. Provision for use of natural gas as an auxiliary source is also proposed. The revised technical configurations are being firmed up in discussion with ADB and other stake-holders.

5. Preparation of Solar Guidelines in coordination with GIZ

Phase-I of the Solar Guidelines project had been implemented by GIZ and the second phase covering ten states is proposed to be implemented by SECI. A proposal was submitted to the Ministry for taking up implementation of Phase-II of this project. The matter is being pursued with the Ministry.

In the meantime, SECI has taken part responsibility of content management of the Solar Guidelines website.

6. Initiatives with Solar Power Development in Delhi

A survey of the roof top spaces available in public buildings such as Planning Commission building, ISBT Kashmere Gate, DJB etc. had been made and a proposal had been developed to carry out pre-feasibility studies for implementation of PV projects at DTC sites.

A Pre-feasibility report has been submitted to ISBT and to DJB and the matter is under consultation

7. Research and Development

- a) Implementation of the R&D proposal for setting up calibration facility for solar radiation measuring sensors at Solar Energy Centre has been started.
- b) Assistance to MNRE on Implementation of Solar R&D Programme.



III. अन्य प्रयास

डीएमआरसी ने अपने कई स्टेशनों में सोलर पीवी रूफटॉप परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ जुड़ने में गहन रूचि दिखाई है। शुरूआत में एसईसीआई द्वारा शुरू की गई मौजूदा रूफटॉप स्कीम के अंतर्गत द्वारका स्टेशन में 500 किलोवाट रूफटॉप पीवी परियोजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त डीएमआरसी ने शास्त्री पार्क स्टेशन क्षेत्र में उपलब्ध उनकी खाली पड़ी भूमि में 7 मेगावाट सौर पीवी परियोजना विकसित करने में रूचि दिखाई है। इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एसईसीआई और डीएमआरसी द्वारा सयुंक्त रूप से काम किया जा रहा है। चेन्नई और बंगलुरू मेट्रो रेल निगमों के साथ इसी तरह की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विचार–विमर्श किए जा रहे हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न विमानपत्तन के परिसरों में रूफटॉप और ग्राउंड माऊंटिड सौर पीवी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सेकी के साथ मिलकर काम करने में रूचि दिखाई है। चंड़ीगढ़ में नए विमानपत्तन टर्मिनल में उपलब्ध भूमि में 1 मेगावाट परियोजना को शुरू करने का प्रस्ताव भी किया है। इस कार्य को करने के लिए कार्यान्वयन के तरीके पर उनसे बातचीत की जा रही है।

अक्षय ऊर्जा एजेंसी पुडुचेरी ने पुडुचेरी में पुडुचेरी कॉ—ऑपरेटिव शुगर मिल (लगभग 5 मेगावाट) और पुडुचेरी —कॉ—ऑपरेटिव स्पिानिंग मिल (लगभग 3 मेगावाट) में उपलब्ध सुलभ भूमि में सेकी के सहयोग से सौर पीवी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी रूचि दिखलाई है।

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रू. है जो कि 1000 रू. प्रत्येक के 200,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है । वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी 21.00 करोड़ रू. थी। वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 21 करोड़ रू. की इक्विटी जारी की । रिपोर्ट की तिथि तक संचयी प्रदत्त पूंजी 42.00 करोड़ रू. है।

मानव संसाधन

विभिन्न स्तरों पर बोर्ड स्तर से नीचे आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। इस रिपोर्ट की तिथि तक नियमित भर्ती 26 कर्मचारी हैं। कुल मिलाकर 20 सामान्य, 4 अनुसूचित जाति और 2 ओबीसी कर्मचारियों को भर्ती किया गया है। इसके अतिरिक्त महा प्रबंधक के स्तर का एक पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा गया है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार भर्ती की जा रही है। चूंकि भर्ती किए गए नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है, इसलिए संस्थान में और बाहर विभिन्न कार्यकर्मों की व्यवस्था की गई थी। विदेश में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट की तिथि तक 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमे 129 मानव दिन लगे।

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में निदेशक यह पुष्टि करते हैं <mark>कि</mark> :

- सामग्री निकासी, यदि कोई हो, से संबंधित उचित विवरण के साथ लागू लेखाकंन मानकों का अनुसरण किया गया था ।
- निदेशकों ने लेखों पर टिप्पणियों में बताए गए के अलावा, ऐसी लेखाकंन नीतियों का चयन किया और लगातार उनका प्रयोग किया तथा निर्णय और अनुमान लगाए जो कि उचित और विवेकपूर्ण हो ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों का और उचित स्वरूप सामने आ सके।
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखाकंन रिकार्डों के प्रबंधन हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान रखा।
- निदेशकों ने चालू मामला आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया था।

III. OTHER INITIATIVES

DMRC has expressed keen interest to tie-up with Solar Energy Corporation of India for implementation of Solar PV Roof-top Projects in many of their stations. To start with, a 500 kw roof top PV Project has been proposed to be implemented in Dwaraka station under current roof top scheme launched by SECI. In addition to this, DMRC has also expressed interest to develop a 7 MW Solar PV Project in their vacant land available at Shastri Park station area. The modalities for execution of these projects are being jointly worked out by SECI and DMRC. Discussions are being held with Metro Rail corporations of Chennai and Bangalore as well to implement similar projects.

Airport Authority of India (AAI) has also shown interest to collaborate with SECI for implementation of both roof top and ground mounted Solar PV Projects in the premises of various Airports. AAI has proposed to take up 1MW project in land available in the new airport terminal in Chandigarh. The mode of implementation for taking up this work is under discussion with them.

The Renewable Energy Agency of Puducherry (REAP) has also shown interest in implementation of Solar PV Projects with the involvement of SECI in the surplus lands available in Puducherry Co-operative Sugar Mill (about 5 MW) and Puducherry Co-operative Spinning Mill (about 3 MW) in Puducherry.

SHARE CAPITAL

The Authorised Share Capital of Company is Rs.2000 crore divided in to 200,00,000 equity shares of Rs.1,000 each. The paid up capital as at the end of the year was Rs.21.00 crore. During the year, the Ministry of New and Renewable Energy released equity of Rs.21.00 crore. The cumulative paid up capital as on the date of the Report is Rs.42.00 crore.

HUMAN RESOURCES

Need based employees at various levels below board level were recruited. On the date of this Report, there are 26 Employees in the regular establishment. In all 20 General 04 SC and 02 OBC have been recruited. In addition one post in the level of General Manager is recruited on deputation basis. Further need based recruitment is in progress. Since the new recruits need training, various programmes in house and external were arranged. Training abroad was also arranged. On the date of the Report, 11 programmes were arranged achieving 129 man days.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors' confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March 2013

- the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- that the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently except as disclosed in the Notes on Accounts and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year;
- that the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and;
- that the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.



लेखा परीक्षक रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मैर्सस सूद, ब्रिज एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट को सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक—'क' में रखी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई बदलाव नहीं गया। सी एंड एजी की टिप्पणियां अनुलग्नक—'ख' में दी गई हैं। सी एंड एजी की जिन टिप्पणियों पर प्रबंधन ने 'शून्य' उत्तर दिया है, वे लागू नहीं हैं।

लेखा परीक्षा समिति

कॉरपोरेट अभिशासन पहल की शुरूआत के रूप में वर्ष 2012—13 के दौरान आपके निगम ने लेखा परीक्षा समिति गठित की है ।

सांविधिक सूचना

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में सूचना तकनीकी अवशोषण और विदेशी विनिमय आय और आउटगो और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत कर्मचारी पारिश्रमिक पर सूचना 31 मार्च, 2013 तक शून्य है ।

उत्तराखंड त्रासदी

उत्तराखंड राज्य में 15/16 जून, 2013 को व्यस्ततम मौसम के दौरान तीर्थ यात्रियों की वार्षिक भीड़ के समय भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से काफी नुकसान पहुंचा जिससे 1,50,000 लोग बेघर हो गए जिसके कारण जीवन और अवसंरचना को भारी नुकसान हुआ। राज्य की मदद के लिए सभी कर्मचारियों ने एक दिन का मूल वेतन और मंहगाई भत्ता का अंशदान दिया। 61,537 रू. की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष को भेजी गई।

निदेशक मंडल

पिछली रिपोर्ट के बाद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21 सितंबर, 2012, 25 अक्तूबर, 2012 और 27 नवंबर, 2012 और 13 अगस्त, 2013 के पत्र के तहत क्रमशः डा. अश्विनी कुमार को पूर्णकालिक निदेशक (सौर), श्री राकेश कुमार को पूर्णकालिक निदेशक (विद्युत प्रणालियां) और श्री सी. कन्नन को पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) और श्री राजीव भारद्वाज को निदेशक (मा. सं.) के पद पर नियुक्त किया है। इन आदेशों के अनुपालन में डा. अश्विनी कुमार ने 19 अक्तूबर, 2012 को, श्री राकेश कुमार ने 12 नवंबर, 2012, को श्री सी. कन्नन ने 4 दिसंबर, 2012 को और श्री राजीव भारद्वाज ने 19 अगस्त, 2013 को कार्यभार ग्रहण कर लिया।

अंशकालीक निदेशकों के संबंध में, डा. अहमर रजा और श्री रवीन्द्र पाल बत्रा को 14 दिसंबर, 2012 से मंडल के निदेशक के रूप में कार्य करने पर विराम लगा दिया गया है।

बोर्ड नई नियुक्तियों का स्वागत करता है और पूर्व निदेशकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की प्रशंसा करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

निगम, अपने सभी सरकारी पत्राचारों में हिंदी के कार्यान्वयन की आवश्यकता को स्वीकार करता है और अनुदेशों का अनुपालन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निदेशों के अनुसरण में हिंदी सप्ताह का आयोजन सितंबर, 2012 में किया गया और कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वर्ष 2013 के दौरान सभी पत्राचारों में राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए भी आयोजन किए जाएंगे।

आभार

निदेशक मंडल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, विश्व बैंक, एडीबी, इंडियन बैंक, सभी ग्राहकों और कर्मचारियों सहित अन्य सभी पणधारियों द्वारा दिए गए सहयोग, मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(dora) (तरूण कपुर) डा. अश्विनी कुमार निदेशक (सौर) प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 27 अगस्त, 2013

AUDITORS REPORT

M/s Sood, Brij & Associates, Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors for the year 2012-13 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi. The Report of Statutory Auditors is placed at Annexure-A. No Qualifications were made by the Statutory Auditors. Comments of C&AG are placed at Annexure-B. Comments of C&AG being "nil", replies by the Management is not applicable.

AUDIT COMMITTEE

As a beginning of Corporate Governance initiatives, your Corporation has formed Audit Committee during the year 2012-13.

STATUTORY INFORMATION

Information on Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo and Information on Employees Remuneration u/s 217(2A) of the Companies Act 1956 as on 31st March 2013 is NIL.

UTTARAKHAND TRAGEDY

Uttarakhand State has been hit severely by catastrophic floods and landslides during the peak season of its annual pilgrimage rush on 15th/16th June 2013 displacing more than 1,50,000 people causing severe damages to the life and infrastructure. To help the State, all employees have contributed one day basic pay and dearness allowance. The payment amounting to Rs.61,537 has been sent to Prime Ministers National Relief Fund.

BOARD OF DIRECTORS

Since the last report, the Government of India, Ministry of New and Renewable Energy vide letter dated 21st Sept 2012, 25th Oct 2012, 27th Nov 2012 and 13th August 2013 appointed Dr Ashvini Kumar as whole-time Director (Solar), Shri Rakesh Kumar as whole-time Director (Power Systems), Shri C. Kannan as whole-time Director (Finance) and Shri Rajeev Bhardwaj as Director (HR) respectively. Pursuant to these orders, Dr Ashvini Kumar assumed charge on 19th October 2012, Shri Rakesh Kumar assumed charge on 12th November 2012, Shri C.Kannan assumed charge on 04th December 2012 and Shri Rajeev Bhardwaj on 19th August 2013.

In respect of Part-time Directors, Dr Ahmar Raza and Shri Ravindra Pal Batra ceased as Directors on the Board with effect from 14th December 2012.

The Board welcoming the new appointments, places on record its appreciation for the services rendered by the outgoing Directors.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation acknowledges the need for implementation of Hindi in all official correspondence and efforts are being made to comply with the instructions. Pursuant to the directions, Hindi Week Celebrations were held in September 2012 and various competitions were held amongst the employees. During the year 2013 also celebrations will be organised to create awareness on use of official language in all communications.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors acknowledges with deep appreciation the co-operation and guidance extended by Ministry of New Renewable Energy, Ministry of Finance, Office of the Comptroller and Auditor General, Statutory Auditors, Internal Auditors, World Bank, ADB, Indian Banks, all Customers and all other stake holders including all employees.

By Order of the Board of Directors

nan-Kr

Dr. Ashvini Kumar (Director (Solar) Ma

r (Tarun Kapoor) Managing Director

Place : New Delhi Dated: 27th August 2013



दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली के संबंध में कंपनी एक्ट 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 227 के तहत अपने व्यावसायिक निकाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु जिम्मेदार हैं। यह बताया गया है कि उन्होंने दिनांक 9 जुलाई, 2013 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत ऐसा किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, नई दिल्ली के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने और इसलिए कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्णय लिया है।

> भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

(प्रवीण कुमार सिंह) प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–111, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26 जुलाई, 2013

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA, NEW DELHI, FOR THE YEAR ENDING 31.03.2013

The preparation of financial statement of Solar Energy Corporation of India, New Delhi, for the year ended 31 March 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the Managemenr of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09th July 2013.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor general of India, have decided not to review the report of the Statutory Auditors on the accounts of Solar Engergy Corporation of India, New Delhi, for the year ended 31st March 2013 and as Such have no comments to make under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(Praveen Kumar Singh) Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board-III, New Delhi

Place : New Delhi Date : 26 July, 2013



लेखा परीक्षा रिपोर्ट AUDITORS REPORT



सेवा में,

भारतीय सौर ऊर्जा निगम के सदस्य, नई दिल्ली के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

हमने भारतीय सौर ऊर्जा निगम (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के आय और व्यय का विवरण और महत्वपूर्ण लेखापालन नीतियों का सार और लेखों पर टिप्पणियों के साथ–साथ अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उप–धारा (3 सी) में दिए गए लेखा–पालन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन की वास्तविक और उचित राय देते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो वास्तविक और सही विवरण देते हैं तथा गलत विवरण नहीं देते जो चाहे धोखाघड़ी, गलती अथवा अन्य किसी कारण से हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों में आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और वित्तीय विवरण सामग्री गलत तो नहीं है, इसे सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा करें।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि और निपटानों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु की जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के वस्तु परक गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखा परीक्षक परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा बनाने में कंपनी की तैयारी और सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में लेखा पालन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करने के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा पालन अनुमानों की तर्कसंगतता भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत हेत् आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अभिमत

हमारे विचार से और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अपेक्षित पद्धति में अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापालन सिद्धांतों की पुष्टि की दृष्टि से सही और उचित मत प्रस्तुत करते हैं :--

- (i) तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2013 के अनुसार कंपनी के मामलों संबंधी;
- (ii) आय और व्यय के विवरण के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि; और

To,

The Members of Solar Energy Corporation of India, New Delhi

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Solar Energy Corporation of India ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2013, the Statement of Income And Expenditure of the Company for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information along with notes on accounts.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ('the Act'). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, wheather due to fraud, error or otherwise.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2013;
- (ii) in the case of the Statement of Income And Expenditure, of the Loss for the year ended on that date; and



अन्य वैधिक और विनियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट

जैसा कि अधिनियम की धारा 227 (3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट देते हैं कि :--

- हमने वे सभी सूचना और तथ्य प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के उददेश्य हेत् हमारी जानकारी और विश्वास के लिए जरूरी थे;
- ख. हमारे विचार से कंपनी द्वारा कानून के अनुसार खातों की उचित पुरितकाएं रखी गई हैं जैसा कि उन पुरितकाओं की हमारी जांच से पता चलता है;
- ग. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया तुलन पत्र तथा लाभ और हानि का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है; और
- घ. हमारे विचार से, तुलन पत्र और लाभ तथा हानि का विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3 सी) में उल्लिखित लेखापालन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ड. दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च, 2013 तक किसी भी निदेशक को कंपनी एक्ट, 1956 के खंड 274 के उप–खंड (1)के उपबंध (छ) के अनुसार निदेशक के तौर पर नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सीएआरओ) भारत सरकार द्वारा अधिनियम के खंड 227 के उप-खंड 4(क) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षा) रिपोर्ट (संशोधन) आदेश 2004 (आदेश) द्वारा यथा संशोधित, के अंतर्गत हमें कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत कार्य करने हेतु लाइसेंसकृत है।

> कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म की पंजीकरण संख्या : 00350 एन

ए.के.सूद भागीदार सदस्यता संख्या : 14372

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 9 जुलाई, 2013

Report on other Legal and Regulatory Requirements

As required by section 227(3) of the Act, we report that:

- a. we have obtained all the information all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b. in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- c. the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss dealt with by this Report are in agreement with the books of account; and
- d. in our opinion, the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss comply with the Accounting Standards referred to in subsection (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.
- e. on the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2013, and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March, 31, 2013, from being appointed as a director in terms of clause(g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

No statement is required to be made by us under the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 (CARO), as amended by the Companies (Auditor) Report (amendment) order 2004 (the order) issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, as it is a company licensed to operate under section 25 of the companies Act, 1956

for

Sood Brij & Associates Chartered Accountants Firm's Registration Number: 00350N

A.K.SOOD Partner Membership Number: 14372

Place: New Delhi Dated: 9 July 2013



वार्षिक लेखा 2012-13 Annual Accounts 2012-13

दिनांक 31 मार्च, 2013 के अनुसार तूलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2013

			(राशि रु. में)			(A	mount in Rs.)
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 के अनुसार		Particulars	Note No.	Amount as at 31st March 2013	Amount as at 31st March 2012
		 ₹	राशि <i>₹</i>			₹	₹
		ξ	×				
अंशधारी की निधियां				Shareholder's funds			
क. शेयर पूंजी	3	21,00,00,000	200,00,000	(a) Share capital	3	21,00,00,000	2,00,00,000
ख. रिजर्व और अतिरेक	4	(7,09,83,906)	(233,14,130)	(b) Reserves and surplus	· · ·	(709,83,906)	(2,33,14,130
्र ्		13,90,16,094	(33,14,130)		4	1390,16,094	(33,14,130
शेयर आवेदन राशि				Share Application Money Pending Allotment	3		2 00 06 000
लंबित आबंटन ख		-	200,06,000	Pending Allotment	*	-	2,00,06,000
निष्क्रिय देयताएं				Non-current liabilities			
(क) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	75,000	-	(a) Other Long term liabilities	5	75,000	
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	6	10,20,894	-	(b) Long-term provisions	6	10.20.894	
ग		10,95,894	-	(b) Long term provisions	-	10,95,894	
वर्तमान देयताएं			-	Current liabilities		10,33,034	
अन्य वर्तमान देयताएं	7	46,01,94,332	11,63,308	Other current liabilities	7	46,01,94,332	11,63,308
घ		46,01,94,332	11,63,308		b É	46,01,94,332	11,63,308
कुल (क+ख+ग+घ)		60,03,06,320	1,78,55,178	TOTAL(A+B+C+D)		60,03,06,320	1,78,55,178
	-			ASSETS			
	-			Non-current assets			
निष्क्रिय परिसम्पत्तियां				(a) Fixed assets	8		
क. अचल परिसम्पत्तियां	8			(i) Tangible assets		94,39,375	1,37,792
(i) वास्तविक परिसम्पत्तियां		94,39,375	137792	(ii) Intangible assets		1,12,414	34,04
(ii) अवास्तविक परिसम्पत्तियां		1,12,414	34,041	(b) Deferred tax assets (net)		-	32,52,273
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां(निवल)		-	32,52,273	(c) Long term loan & Advanc	9	56,00,740	45,65,340
ग. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	9	56,00,740	45,65,340			1,51,52,529	79,89,446
च		1,51,52,529	79,89,446	Current assets			
चालू परिसम्पत्तियां				(c) Cash and cash equivalen	s 10	57,77,71,833	98,27,824
ग. नकद और नकद समतुल्य	10	57,77,71,833	98,27,824	(d) Short-term loans and			
घ. लघुवधिक ऋण और अग्रिम	11	12,86,270		advances	11	12,86,270	
च. अन्य चालू सम्पत्तियां	12	60,95,688	37,908	(e) Other current Assets	12	60,95,688	37,908
छ		58,51,53,791	98,65,732			58,51,53,791	98,65,732
कुल (च +छ)		60,03,06,320	1,78,55,178	TOTAL (E+F		60,03,06,320	1,78,55,178
सामान्य सूचना	1			General Information	1		
खातों की महत्वपूर्ण गणना नीतियां	+ ·			Significant Accounting			
a				Policies and other Notes To			
और अन्य टिप्पणियां	2			Accounts	2		

This is the Statement of Balance Sheet referred to in our report of even date यह तुलन पत्र समतिथि की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित है

> कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्सए, फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 00350N

For Sood Brij & Associates Chartered Accountants, Firm registration No 00350N

ए.के.सूद भागीदार

A.K. Sood Partner

1.11.

पीएसआर मूर्ति कंपनी सचिव सदस्यता सं. ए5880

PSR Murthy Company Secretary Membership No. A5880

टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग है। The Notes are an integral Part of these Financial Statements

कृते और निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of the Board of Directors

सी.कन्नन निदेशक, (वित्त) (डीआईएन सं. 06458185)

C. Kannan Director (Finance) (DIN NO.06458185)

तरूण कपूर प्रबंध निदेशक (डीआईएन सं. 00030762)

Tarun Kapoor Managing Director (DIN NO.00030762)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 9 जुलाई, 2013 Place : New Delhi Date : 9th July, 2013

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2013

(राशि रु. में)						(Am	ount in Rs.)		
	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए			Particulars	Notes No.	For The Year Ended 31st March 2013	For The Year Ended 31st March 2013
	राजस्व :					REVENUE:			
	अन्य आय	13	81,49,610	37,908		Other income	13	81,49,610	37,908
I.	कूल राजस्व		81,49,610	37,908	1.	Total Revenue		81,49,610	37,908
Г. П.	व्ययः		01,10,010	0,000		EXPENSES: Employee Benefits Expense	14	1,37,53,877	8,93,713
"·	कर्मचारी लाभ व्यय	14	1,37,53,877	8,93,713		Depreciation and amortization	8	3,60,788	5,967
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	8	3.60.788	5.967		Expense			
		-	.,,	.,		Other Expenses	15	3,84,55,908	
	अन्य व्यय	15	3,84,55,908	2,57,04,631	II. V.	Total Expenses Income/(Expenditure) before		5,25,70,573 (4,44,20,963)	
	कुल व्यय		5,25,70,573	2,66,04,311	V.	exceptional and extraordinary		(4,44,20,903)	(2,05,00,405)
V.	असाधारण और विशिष्ट मदों से		(4,44,20,963)	(2,65,66,403)		items and tax (III-IV)			
	पहले आय / (व्यय) और कर (III-IV)					and the second sec	-	(4,44,20,963)	-
VI.	असाधारण मदें		-	-		extraordinary items		(4,44,20,963)	(2,05,00,403)
VII.	असाधरण मदों से पहले		(4,44,20,963)	(2,65,66,403)		and tax (V - VI)			
	आय / (व्यय) और कर (V-VI)				VII			0.400	
VIII.	विशिष्ट मदें –विभेदक मूल्यह्वास		3,460	-	1	Differential Depreciation Income/(Expenditure) before		3,460 (4,44,17,503)	-
ш	कर से पहले आय 🦯 (व्यय) (।-॥)		(4,44,17,503)	2,65,66,403)	1	tax (I-II)		(4,44,17,000)	(2,00,00,400)
IV.	कर व्यय :					Tax expense:			
	(1) चालू कर		-	-	IV.			-	-
	(2) आस्थगित कर		(32,52,273)	32,52,273		(2) Deferred tax		(32,52,273)	32,52,273
	निम्न अवधि से आय∕(व्यय)		(4,76,69,776)	(2,33,14,130)		Income/(Expenditure) for the		(4,76,69,776)	(2,33,14,130)
XI.	जारी प्रचालन, (IX-X)		(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	(_,,,		period from			
XII	बंद किए गए संचालनों से आय/(व्यय)				XI.	J		_	
	बंद किए गए संचालनों का कर व्यय		_	_		discontinuing operations			
XIV.	बंद किए गए संचालनों से आय / (व्यय)		-	-	XII	I. Tax expense of discontinuing		-	-
XIV.	बद किए गए संचालना स आय/ (व्यय) (कर के पश्चात्) (XII-XIII)					operations Income/(Expenditure) from			
			-	-		Discontinuing		-	-
V.	(Ⅲ-Ⅳ) अवधि हेतु आय / (व्यय)		(4,76,69,776)	(2,33,14,130)	XI	/ operations (after tax) (XII-XIII)			
XVI.	प्रति इक्विटी शेयर आय				V.	Income/(Expenditure) for the		(4,76,69,776)	(2,33,14,130)
	(1) मूल		(353)	(1,166)		period (III-IV)			
	(2) हास		(353)	(1,166)	VI.	Earnings per equity share: (1) Basic		(353)	(1,166)
	सामान्य सूचना		1			(2) Diluted		(353)	(1,166)
	लेखों की महत्वपूर्ण लेखापालन नीतियां		2			General Information		1	
	और अन्य टिप्पणियां					Significant Accounting Policies		2	
						and other Notes To Accounts			

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date यह तुलन पत्र समतिथि की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित है

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेट्सए, फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 00350N

For Sood Brij & Associates Chartered Accountants, Firm registration No 00350N

ए.के.सूद भागीदार

A.K. Sood Partner

1.11.6

पीएसआर मूर्ति कंपनी सचिव सदस्यता सं. ए5880

PSR Murthy Company Secretary Membership No. A5880 टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एक अनिवार्य भाग है। The Notes are an integral Part of these Financial Statements

कृते और निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of the Board of Directors

सी.कन्नन निदेशक, (वित्त) (डीआईएन सं. 06458185)

C. Kannan Director (Finance) (DIN NO.06458185)

0 n -

तरूण कपूर प्रबंध निदेशक (डीआईएन सं. 00030762)

Tarun Kapoor Managing Director (DIN NO.00030762)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 9 जुलाई, 2013 Place : New Delhi Date : 9th July, 2013



NOTES TO BALANCE SHEET

टिप्पणी 3 : शेयर पूंजी

शेयर पूंजी	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 201	3 के अनुसार
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
<u>अधिकृत</u>				
प्रत्येक 1000 रु. का इक्विटी शेयर	2,00,00,000	20,0000,00,000	2,00,00,000	20,00,00,00,000
<u>जारी, अभिदत्त</u>				
प्रत्येक 1000 रु. का इक्विटी शेयर	60,00,000	6,00,00,00,000	60,00,000	6,00,00,00,000
<u>पूर्ण प्रदत्त</u>				
प्रत्येक 1000 रु. का इक्विटी शेयर	2,10,000	21,00,00,000	20,000	2,00,00,000
कुल	2,10,000	21,00,00,000	20,000	2,00,00,000

Note 3 : Share Capital

Share Capital	As at 31 March 2013		As at 31 March 2013		
	Number	Amount	Number	Amount	
Authorised					
Equity Shares of Rs1000 each	2,00,00,000	2,00,000,00,000	2,00,00,000	2,00,000,00,000	
Issued, Subscribed					
Equity Shares of Rs1000 each	60,00,000	6,00,00,00,000	60,00,000	60,000,00,000	
Fully paid up					
Equity Shares of Rs1000 each	2,10,000	21,00,00,000	20,000	2,00,00,000	
Total	2,10,000	21,00,00,000	20,000	2,00,00,000	

क. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

विवरण	इक्विट	इक्विटी शेयर		अधिमान्य शेयर		
	संख्या	राशि	संस	ज्या	राशि	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	20,000	2,00,00,000	ਚ.	न.	ਚ . न.	
वर्ष के दौरान जारी शेयर	1,90,000	19,00,00,000	ਚ.	न.	ਚ. न.	
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-		-	-	
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	2,10,000	21,00,00,000	ਚ.	न.	ਚ. न.	

नोटः ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के अंशदाताओं ने प्रत्येक 1000 रू. के 60,00,000 इक्विटी शेयरों का पूर्वक्रय आरंभ किया जिसमें से प्रत्येक 1000 रू. के 2,10,000 इक्विटी शेयरों को अभिदत्त और प्रदत्त किये गये

A. Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period.

Particulars	Equity	Shares	Preference Shares		
Particulars	Number	Amount	Number	Amount	
Shares outstanding at the beginning of the year	20,000	2,00,00,000	N.A.	N.A.	
Shares Issued during the year	1,90,000	19,00,00,000	N.A.	N.A.	
Shares bought back during the year	-	-	-	-	
Shares outstanding at the end of the year	2,10,000	21,00,00,000	N.A.	N.A.	

Note : The Subscribers to the memorandum and Article of Association had undertaken to subsribe 60,00,000 Equity Shares of Rs. 1000 each out of which 2,10,000 Equity Shares of Rs. 1000 each have been subscribed and fully paid up. ख. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारियों के ब्यौरे:

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2013 के अनुसार		31 मार्च, 201	2 के अनुसार
	शेयरों की संख्या	% नियंत्रण	शेयरों की संख्या	% नियंत्रण
भारत के राष्ट्रपति	2,10,000	100	20,000	100

B. Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Name of Shareholder	As at 31 March 2013		As at 31 N	larch 2012
	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
President of India	2,10,000	100	20,000	100



टिप्पणी 4 : रिजर्व और अतिरेक

रिजर्व और अतिरेक	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार	
रिजय और आंतरक	राशि रु.	राशि रु.	
अतिरेक			
अथ शेष	(2,33,14,130)	-	
(+) चालू वर्ष हेतु निवल लाभ⁄(निवल हानि)	(4,76,69,776)	(2,33,14,130)	
अंत शेष	(7,09,83,906)	(2,33,14,130)	
कुल	(7,09,83,906)	(2,33,14,130)	

Note 4 : Reserves & Surplus

Reserves & Surplus	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012		
Reserves & Surpius	Amount in Rs.			
Surplus				
Opening balance	(2,33,14,130)	-		
(+) Net Profit/(Net Loss) For the current year	(4,76,69,776)	(2,33,14,130)		
Closing Balance	(7,09,83,906)	(2,33,14,130)		
Total	(7,09,83,906)	(2,33,14,130)		

टिप्पणी 5 : अन्य दीर्घावधिक देयताएं

अन्य दीर्घावधिक देयताएं	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
अन्य दायापायक दयताए	राशि रु.	राशि रु.
अप्रतिभूति प्रतिभूति जमा		
प्रतिभूतिं जमा	75,000	_
कुल	75,000	_

Note 5 : Other Long Term Liabilities

Other Current Liabilities	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012
	Amount in	n Rs.
Unsecured		
Security Deposit	75,000	-
Total	75,000	-

टिप्पणी 6 : दीर्घावधिक प्रावधान

	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
दीर्घावधिक प्रावधान	राशि रु.	राशि रु.
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	5,75,170	-
ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान	1,84,470	_
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए प्रावधान	2,61,254	-
कुल	10,20,894	-

NOTE 6 : LONG TERM PROVISIONS

Long Term Provisions	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012		
	Amount in Rs.			
Provisions for Earned Leaves	5,75,170	-		
Provision for Gratuity	1,84,470	-		
Provision for Post Retirement Benefits	2,61,254	-		
Total	10,20,894	-		

टिप्पणी 7 : अन्य चालू देयताएं

	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
अन्य चालू देयताएं	राशि रु.	राशि रु.
वितरण के लिए राजसहायता	42,61,03,774	_
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	2,43,76,000	-
शुल्क एवं कर	8,25,399	23,478
सुरक्षा हेतु जमा	50,161	11,39,830
अन्य देयताएं	88,38,998	_
कुल	46,01,94,332	11,63,308

NOTE 7 : OTHER CURRENT LIABILITIES

Other Current Liabilities	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012			
	Amount in Rs.				
Subsidy for Disbursement	42,61,03,774	-			
Grant received from MNRE	2,43,76,000	-			
Duty & Taxes	8,25,399	23,478			
Security Deposit	50,161	11,39,830			
Other Payable	88,38,998	-			
Total	4601,94,332	11,63,308			

टिप्पणी 8 : अचल परिसम्पत्तियां

		लागत पर सकल ब्लॉक				मूल्यहास समायोजन			हासित	ा मूल्य
विवरण	1.4.2012 के अनुसार	संयोजन	बिक्री / संयोजन	कुल	1.4.2012 के अनुसार	संयोजन	वर्ष के लिए	कुल	31.3.2013 के अनुसार	31.3.2012 के अनुसार
वास्तविक परिसंपत्तियां										
इमारत				-				—	-	-
कंप्यूटर	1,27,575	19,52,490		20,80,065	4,474	(2,662)	1,57,853.00	1,59,665	19,20,400	1,23,101
प्रिटंर	15,225	3,37,105		3,52,330	534	(318)	22,221.00	22,437	3,29,893	14,691
फर्नीचर और फिक्चर	-	2,34,821		2,34,821			4,878.00	4,878	2,29,943	-
फर्नीचर और फिक्चर गेस्ट हाउस	_	90,088	_	90,088			6430.00	6430	83,658	-
कार्यालय उपकरण		7,25,240		7,25,240			1,28,125.00	1,28,125	5,97,115	_
संयंत्र और मशीनरी	_	_	_	_	_		-	-	-	_
कार्यालय उपकरण– गेस्ट हाउस		9,005		9,005			9,005.00	9,005	-	_
मोटर वाहन		62,80,000		62,80,000			1,634.00	1,634	62,78,366	-
(क)–कुल वास्तविक परिसंपत्तियां	1,42,800	96,28,749	_	97,71,549	5,008	(2,980)	3,30,146,00	3,32,174	94,39,375	1,37,792
अवास्तविक परिसंपत्तियां										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	35,000	1,08,535		1,43,535	959	(480)	30,642.00	31,121	1,12,414	34,041
(ख)–कुल वास्तविक परिसंपत्तियां	35,000	1,08,535		1,43,535	959	(480)	30,642.00	31,121	1,12,414	34,041
संयोजनः						_				
भूमि के लिए अग्रिम		0	_		_	_	0.00	_		
प्रगति पर पूंजीगत कार्य			_		_		0.00	_		
पूर्व– चालू व्यय			-		_	_	0.00	_		
कुल (ग)	_	0	_	_	_	_	0.00	_	-	—
कुल (क)+(ख)	1,77,800	97,37,284	_	99,15,084	5,967	(3,460)	3,60,788.00	3,63,295	95,51,789	1,71,833
पिछले वर्ष	_	1,77,800	_	1,77,800	_	_	5,967.00	5,967	1,71,833	—

NOTE 8 : FIXED ASSETS

GROSS BLOCK AT COST			DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE			
Particulars	As at 1.4.2012	Additions	Sales / adjustment	Total	As at 1.4.2012	Adjustment	For The Year	Total	As at 31.3.2013	As at 31.3.2012
TANGIBLE ASSETS										
Building				-				-	-	-
Computer	1,27,575	19,52,490		20,80,065	4,474	(2,662)	1,57,853.00	1,59,665	19,20,400	1,23,101
Printer	15,225	3,37,105		3,52,330	534	(318)	22,221.00	22,437	3,29,893	14,691
Furniture & Fixture	-	2,34,821		2,34,821			4,878.00	4,878	2,29,943	-
Furniture & Fixture -Guest house		90,088		90,088			6,430.00	6,430	83,658	
Office Equipment	-	7,25,240		7,25,240			1,28,125.00	1,28,125	5,97,115	-
Plant & Machinery				-				-	-	-
Office Equipment -Guest house		9,005		9,005			9,005.00	9,005	-	-
Motor Vehicles		62,80,000		62,80,000			1,634.00	1,634	62,78,366	-
(A)-Total Tangible Assets	1,42,800	96,28,749	-	97,71,549	5,008	(2,980)	3,30,146.00	3,32,174	94,39,375	1,37,792
INTANGIBLE ASSETS										
COMPUTERS SOFTWARE	35,000	1,08,535		1,43,535	959	(480)	30,642.00	31,121	1,12,414	34,041
(B)-Total Intangible Assets	35,000	1,08,535	-	1,43,535	959	(480)	30,642.00	31,121	1,12,414	34,041
Add :						-				
Advance for Land		0	-		-	-	0.00	-		
Captal Work in Progress					-	-	0.00	-		
Pre - Operative Expnses			-		-	-	0.00	-		
Total (C)	-	0	-	-	-	-	0.00	-	-	-
Grand Total (A+B)	1,77,800	97,37,284	-	99,15,084	5,967	(3,460)	3,60,788.00	3,63,295	95,51,789	1,71,833
Previous Year	-	1,77,800		1,77,800	-	-	5,967.00	5,967	1,71,833	-

टिप्पणी 9 : दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम

दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार		
दाधावाधक ऋण आर आग्रम	राशि रु.			
प्रतिभूति जमाः				
अप्रतिभूति, समझे जाने वाले सामान				
प्राप्तियोग्य प्रतिभूति जमा	56,00,740	45,65,340		
कुल	56,00,740.00	45,65,340.00		

Note 9 : LONG TERM LOANS & ADVANCES

Long Term Loans and Advances	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012	
	Amount in Rs.		
Security Deposits:			
Unsecured, considered good			
Security Deposit receivable	56,00,740	45,65,340	
Total	56,00,740.00	45,65,340.00	

टिप्पणी 10 : नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार			
ાયત્ય આ દેવાયુપ્ય દાવાદુહ્ય	राशि रु.				
बैंकों में शेष					
बचत खाता	4511,28,643	44,64,937			
चालू खाता	13,43,190	3,62,887			
आवधिक जमा भारतीय स्टेट बैंक	12,53,00,000	50,00,000			
कुल	57,77,71,833	98,27,824			

NOTE 10 : CASH & CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents	As at 3 ²	March 2013	As at 31 March 2012		
Cash and Cash equivalents		Amount in Rs.			
Balances with banks in :					
Saving Account	451	1,28,643	44,64,937		
Current Accounts	1;	3,43,190	3,62,887		
Fixed Deposit SBI	1253	3,00,000	50,00,000		
Total	57,7	7,71,833	98,27,824		

टिप्पणी 11 : अल्पावधिक ऋण और अग्रिम

अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
	राशि रु.	
ऋण और अग्रिमः		
पूंजीगत अग्रिम	7,17,247	-
अन्य	5,69,023	-
कुल	12,86,270	-

NOTE 11 : SHORT TERM LOANS & ADVANCES

Short Term Loans & Advances	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012
Short term Loans & Auvances	राशि रु.	
Loans and advances		
Capital Advances;	7,17,247	-
Others	5,69,023	-
Total	12,86,270	-

टिप्पणी 12ः अन्य चालू परिसम्पत्तियां

अन्य चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
	राशि रु.	
ब्याज प्राप्त हुआ लेकिन देय नहीं है	52,33,310	30,326
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	8,62,378	7,582
कुल	60,95,688	37,908

NOTE 12 : OTHER CURRENT ASSETS

Other Current Assets	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012
Other Current Assets	Amount in Rs.	
Interest Accrued but not due	52,33,310	30,326
Other Current Assets	8,62,378	7,582
Total	60,95,688	37,908



टिप्पणी 13ः **अन्य आय**

विवरण -	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
144.51		
ब्याज से आय	69,07,570	37,908
अन्य प्राप्तियां	12,42,040	
कुल	81,49,610	37,908

NOTE 13: OTHER INCOME

Particulars	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012
	Amount in Rs.	
Interest Income	69,07,570	37,908
Other Receipts	12,42,040	
Total	81,49,610	37,908

टिप्पणी 14 : कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार	
	राशि	राशि रु.	
स्टाफ के वेतन और भत्ते			
वेतन और भत्ते	88,23,665	8,58,713	
भविष्यनिधि में अंशदान	10,44,248		
उपदान	1,84,470		
अवकाश नकद	3,94,186		
चिकित्सा व्यय	2,35,731		
सेवानिवृत्ति के लाभ	2,61,254		
चिकित्सा अवकाश व्यय	1,80,984		
स्टाफ कल्याण	67,034	5,000	
वेतन और भत्ते–निदेशक			
निदेशकों का पारिश्रमिक	24,94,889		
निदेशकों की सीटिंग फीस	67,416	30,000	
कुल	1,37,53,877	8,93,713	

NOTE 14 : EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES:

Particulars	As at 31 March 2012	As at 31 March 2012
Faiticulais	Amoun	t in Rs.
Salaries & Wages-Staff		
Salaries & Wages	88,23,665	8,58,713
Contribution to Provident Fund	10,44,248	
Gratuity	1,84,470	
Leave Encashment	3,94,186	
Medical Expenses	2,35,731	
Post Retirement Benefits	2,61,254	
Sick Leave Expenses	1,80,984	
Staff Welfare	67,034	5,000
Salaries & Wages -Directors		
Directors' Remuneration	24,94,889	
Directors' Sitting Fee	67,416	30,000
Total	137,53,877	8,93,713

टिप्पणी 15 : अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2013 के अनुसार	31 मार्च, 2012 के अनुसार
	राशि रु.	
किराया	2,34,77,511	45,84,288
भवन की मरम्मत और रख–रखाव	38,18,024	8,68,349
सुरक्षा और जनशक्ति व्यय	23,98,404	-
किराए पर लिए गए वाहनों का प्रभार	17,45,793	37,753
भर्ती व्यय	13,10,768	-
यात्रा व्यय	10,31,942	3,705
विज्ञापन और प्रचार	6,64,992	298
प्रशिक्षण व्यय	6,53,907	-
टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट व्यय	6,47,568	14,409
गेस्ट हाउस व्यय	5,62,895	-
गृह व्यवस्था पर व्यय	4,68,446	
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	3,50,516	4,539
वाटर, पावर और बिजली प्रभार	3,43,988	20,819
अतिथि सत्कार पर व्यय	1,61,964	-
वैधानिक और व्यावसायिक प्रभार	2,13,208	7,156
कार्यालय मरम्मत और रख–रखाव	1,51,272	19,779
डाक और टेलीग्राम	47,294	553
बोर्ड मिटिंग व्यय	35,538	5,828
स्थानीय वाहन	30,770	3,390
मिटिंग व्यय	1,75,542	45,228
कारोबार बढ़ाने पर व्यय	21,643	
फाइलिंग फीस	15,044	13,100
बैंक प्रभार	14,427	1,094
बीमा व्यय	6,006	-
प्राथमिक व्यय बट्टे खाते में	-	2,00,51,560
विविध व्यय	80,356	9,300
ऑडिटरों का पारिश्रमिक		
ऑडिट फीस	28,090	13,483
कुल	3,84,55,908	2,57,04,631

NOTE 15 : OTHER EXPENSES

Particulars	As at 31 March 2012	As at 31 March 2012	
Faiticulais	Amoun	Amount in Rs.	
Rent	234,77,511	45,84,288	
Repair & Maintenance of Buliding	38,18,024	8,68,349	
Security & Manpower Expenses	23,98,404	-	
Vehicle Hire Charges	17,45,793	37,753	
Recruitment Expenses	13,10,768	-	
Travelling Expenses	10,31,942	3,705	
Advertisement & Publicity	6,64,992	298	
Training Expenses	6,53,907	-	
Telephone, Mobile Expenses and Internet Expenses	6,47,568	14,409	
Guest House Expenses	5,62,895	-	
House Keeping expenses	4,68,446		
Printing & Stationery	3,50,516	4,539	
Water, Power& electrcity Charges	3,43,988	20,819	
Hospitalities Expenses	1,61,964	-	
Legal & Professional charges	2,13,208	7,156	
Office Repair & Maintenance	1,51,272	19,779	
Postage & Telegram	47,294	553	
Board Meeting Exp.	35,538	5,828	
Local Conveyance	30,770	3,390	
Meeting Expenses	1,75,542	45,228	
Business Promotion Expenses	21,643		
Filing Fees	15,044	13,100	
Bank Charges	14,427	1,094	
Insurance Expenses	6,006	-	
Preliminary Expenses Written off	-	2,00,51,560	
Miscellaneous Expenses	80,356	9,300	
Auditor's Remuneration			
- Audit Fees	28,090	13,483	
Total	13,84,55,908	2,57,04,631	



31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

1. सामान्य जानकारी

भारतीय सौर ऊर्जा निगम भारत में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी है और इसे कंपनी एक्ट के प्रावधानों की धारा 25 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ—साथ ग्रिड—संबद्ध तथा ऑफ—ग्रिड विद्युत स्टेशनों का स्वामित्व, प्रचालन और प्रबंधन करना तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, सौर विद्युत स्टेशनों एवं सहायक सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थानों का चुनाव करना, केन्द्रीय सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत निर्धारित नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसार विद्युत का विनिमय, वितरण और विक्रय करना तथा कार्यकलापों के ऐसे किसी भी क्षेत्र, जिसमें कंपनी शामिल है, में परामर्शी सेवाओं का संवर्धन, आयोजन और संचालन करना आदि शामिल हैं।

2. प्रमुख लेखाकरण नीतियां

1.1 लेखाओं को तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरणों को कंपनी लेखाकरण मानक नियमावली, 2006 तथा कंपनी एक्ट, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित लेखाकरण मानकों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को वैसी परिसंपत्तियों, जिनके लिए नुकसान संबंधी प्रावधान किए गए हैं और पुनर्मूल्यांकन किया गया है, को छोड़कर उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है। कंपनी द्वारा निरंतर रूप से लेखाकरण नीतियों का उपयोग किया गया है और नीचे उल्लेख किए गए परिवर्तनों को छोड़कर ये नीतियां पिछले वर्ष उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों के ही अनुरूप हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रबंधन द्वारा कुछ अनुमान और आकलन किए जाएं जिनका परिसंपत्तियों और देयताओं की उल्लिखित राशियों तथा वित्तीय विवरण की तिथि को संबंधित देयताओं के प्रकटीकरण एवं रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़े। यद्यपि ये अनुमान वर्तमान घटनाओं एवं कार्यों के संबंध में प्रबंधन की अधिकतम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि के दौरान स्वीकार किया जाता है जिसके दौरान ये कार्यान्वित होते हैं।

1.3 स्थायी परिसंपत्ति

स्थायी परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत रहित अवमूल्यन पर दर्शाया गया है। अधिग्रहण की लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क तथा अन्य गैर–प्रतिदेय कर अथवा उगाही तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष रूप से देय लागतें, निर्माण के दौरान ब्याज, शुल्क, मालभाड़ा, संस्थापना तथा आवंटित आकस्मिक व्यय जो परिसंपत्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्यशील दशा में लाने के लिए निर्माण/अधिग्रहण के दौरान देय हो, शामिल हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर दर्ज किया जाता है ।

उन प्रवर्तित परिसंपत्तियों, जिनके लिए संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान नहीं हुआ है, के मामले में पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है जो वित्तीय विवरण के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन होगा ।

Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31st March, 2013

1. General Information

Solar Energy Corporation of Indian is a public limited company domiciled in India and incorporated under section 25 of the provisions of the Companies Act. Main objects, inter-alia, are to own, operate and manage, both grid connected and off grid power stations, and promote research and development, select suitable sites for solar power stations and ancillary facilities, Exchange, distribute and sell power in accordance with the policies and objectives lay down by the Central Government under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission and to promote, organize or conduct consultancy services in any field of activity in which the Company is engaged etc.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 Basis of preparation of Accounts:

The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the notified accounting standards as per Companies Accounting Standards Rules, 2006 and the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on accrual basis except in case of assets for which provision for impairment is made and revaluation is carried out. The accounting policies have been consistently applied by the Company and except for the changes in accounting policy discussed below, are consistent with those used in the previous year.

1.2. Use of estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting period. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which they materialize

1.3. Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at historical cost less depreciation. Cost of acquisition is inclusive of purchase price, import duties and other non-refundable taxes or levies and any other directly attributable costs, interest during construction, duties, freight, installation and allocated incidental expenditure during construction/acquisition attributable to bring the assets to their working condition for their intended use.

Intangible assets are recorded at their cost of acquisition.

In case of commissioned assets where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustments in the year of the final settlement.

1.4 अवमूल्यन/परिशोधन

31.03.2012 तक अवमूल्यन कंपनी एक्ट,1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर हासित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया गया ।

चालू वर्ष अर्थात् 1.04.2012 से कंपनी द्वारा अपनी नीति को विद्युत क्षेत्र की अन्य कंपनियों के अनुसार संयोजित करने तथा तुलना संबंधी प्रयोजनों के उद्देश्य से निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर कंपनी एक्ट, 1956, की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर परिसंपत्तियां शुद्ध मूल्य पद्धति के आधार पर अवमूल्यन प्रदान करने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया गया :

साफ्टवेयर सहित अमूर्त परिसंपत्तियां – 20%

परिसंपत्तियां जिस तिथि से उपयोग हेतु उपलब्ध होती हैं उस तिथि से अवमूल्यन यथानुपात आधार पर दिया जाता है ।

अतिरिक्त / अप्रयोज्य घोषित की गई परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन उस माह के अंत तक प्रदान किया जाता है जिसमें ऐसी घोषणा की गई हो।

5000 रू. अथवा उससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों को प्रापण के वर्ष में पूर्ण अवमूल्यन किया जाता है ।

साफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है और पांच वर्षों तक पूर्णतः परिशोधित किया जाता है ।

अवमूल्यन प्रभारित करने की प्रणाली में परिवर्तन के कारण 3460 रू. के पिछले वर्ष के अधिशेष अवमूल्यन से संबंधित अवकलन हुआ है जिसे आय एवं व्यय संबंधी विवरण में अतिसाधारण मदें, शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

1.5 निवेश

दीर्घकालिक निवेश का मूल्य निर्धारण मूल्य में स्थायी हास के लिए लागत रहित प्रावधान पर किया गया है ।

वर्तमान निवेशों का मूल्य निर्धारण कम लागत और उचित मूल्य पर किया गया है।

1.6 उधारी लागत

उधारी लागतें, जो अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण हेतु देय हैं, को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है । अन्य सभी उधारी लागतों के लिए राजस्व प्रभारित किया जाता है ।

1.7 वस्तु सूची

वस्तु सूची को लागत को कम करके अथवा निवल वसूली मान पर मानित किया जाता है ।

1.8 राजस्व और व्यय अभिज्ञान

आयःइसे लेखाकरण की उपार्जन प्रणाली के आधार पर लेखाकृत किया जाता है ।

व्यय ः इसका लेखाकरण उपार्जन प्रणाली के आधार पर, जब और जिस प्रकार व्यय होता है, किया जाता है ।

1.9 चालू तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान

वर्ष के दौरान यह कंपनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 के तहत एक सार्वजनिक दातव्य संस्थान के रूप में पंजीकृत की गई है जिसकी आय को आयकर से छूट प्राप्त है । इस प्रकार इस स्थिति को देखते हुए आयकर तथा आस्थगित कर हेतु प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार पिछले वर्ष से संबंधित 32,52,273 रू. की आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) को असंबद्घ किया गया है !

1.4. Depreciation/Amortization

Depreciation up to 31-3-2012 was provided on Written down value method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

From the current year i.e. 1.04.2012 onwards the company has changed its policy to provide depreciation on the basis of Straight Line Method at rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956, in-order to align the company's policy with other companies in the Power Sector and for comparison purposes except for following assets:-

Intangible Assets including Software - 20%

Depreciation is provided on pro rata basis from the date in which the asset becomes available to use.

Depreciation on assets declared surplus/ Obsolete is provided till the end of the month in which such declaration is made.

Assets costing Rs 5000 or less are depreciated fully in the year of procurement.

Expenditure on software is recognized as intangible Asset and amortized fully over 5 years

Due to change in the method of charging depreciation it has resulted into differential in excess depreciation pertaining to previous year amounting to Rs.3460 which has been shown under the Head Extraordinary items in statement of Income and Expenditure.

1.5. Investments

Long Term Investment are valued at cost less provision for permanent diminution in value.

Current investments are valued at lower of cost and fair value.

1.6. Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

1.7. Inventories

Inventories valued at lower of cost or net realizable value.

1.8. Revenue & Expenditure Recognition

Income: - It is accounted on the basis of accrual method of accounting.

Expenditure: - It is accounted on the basis of accrual basis as and when it is incurred.

1.9 Provision for Current and Deferred Tax

The company during the year is registered u/s. 12A of the Income Tax Act, 1961, as a Public Charitable Institution whose income is exempt from income tax. Thus, in view of this status, the provision for income tax and deferred tax is not required to be made.

Thus Deferred Tax Assets (Net) amounting to Rs. 32,52,273 pertaining to previous year has been derecognized.

1.10 परिसंपत्तियों का नुकसान

किसी परिसंपत्ति की क्षति मानी जाती है जब परिसंपत्तियों की संचालन लागत इससे प्राप्त वाली राशि से अधिक होती है । नुकसान से होने वाली क्षति को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष परिसंपत्ति की क्षति की पहचान की जाती है ।

1.11 विदेशी मुद्रा विनिमय

(i) आरंभिक अभिज्ञान

विदेशी मुद्रा लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में विदेशी मुद्रा की राशि को लेन-देन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय शुल्क-दर पर रिकार्ड किया जाता है।

(ii) रूपान्तरण

विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों को समापन शुल्क-दर का उपयोग कर दर्शाया गया है। गैर-आर्थिक मदों, जिन्हें विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग में ऐतिहासिक लागत के संबंध में अग्रेनीत किया गया है, को लेन-देन की तिथि को विद्यमान विनिमय शुल्क-दर का उपयोग कर दर्शाया गया है तथा उन गैर-आर्थिक मदों, जो उचित मूल्य पर अथवा किसी विदेशी मुद्रा में समान मूल्य पर अग्रेनीत किया गया है, को उन विनिमय दरों का उपयोग करके दर्शाया गया है जो मूल्यों को निर्धारित करते समय विद्यमान थीं।

(iii) विनिमय में अंतर

आर्थिक मदों अथवा रिपोर्टिंग कंपनी की आर्थिक मदों की उन दरों, जिन पर उन्हें वर्ष के दौरान आरंभ में रिकार्ड किया गया था, से भिन्न दरों पर निपटान से होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष की आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है जिस वर्ष में अंतर उत्पन्न होते हैं।

1.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रावधान

मापन में अनुमान को पर्याप्त मात्रा में शामिल करने को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता उत्पन्न होती है और यह संभव है कि संसाधनों का निर्गमन होगा । आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया जाता है बल्कि टिप्पणियों में छिपाया जाता है । आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो स्वीकार किया जाता है न ही छिपाया जाता है ।

वित्त वर्ष 2012–13 के लिए कोई आकस्मिक देयता नहीं है ।

1.13 कर्मचारियों के हित

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और लेखाकरण मानक (एएस)–15 में परिभाषित अन्य सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए प्रावधान वित्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है। भविष्य निधि संबंधी देयता का लेखाकरण अधिग्राह्य आधार पर किया जाता है।

1.14 विविध

100,000 / –रू. तथा उससे कम मूल्य की वस्तुओं के पूर्व प्रदत्त एवं पूर्वावधि को भुगतान / प्राप्ति के वर्ष के लेखा के स्वाभाविक शीर्ष में प्रभारित किया जाता है।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियां :

2.1 प्रति शेयर कमाई (ईपीएस)

मदें		2012-2013	2011-2012
क.	इक्विटी शेयरधारी के लिए उपलब्ध	(4,76,69,776)	(2,33,14,130)
	निवल लाभ		
ख.	ईपीएस के परिकलन के लिए	1,35,233	20,000
	डिनोमिनेटर के रूप में उपयोग		
	किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या		
ग.	प्रत्येक १००० / – रू. अंकित मूल्य	(353)*	(1,166)
	(पिछले वर्ष का अंकित मूल्य		
	1000 / – रू. प्रत्येक) के प्रति शेयर		
	पर मूल तथा अवमिश्रित प्राप्ति		

1.10 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the assets exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to the Profit and Loss account in the year in which an asset is identified as impaired.

1.11 Foreign Currency Transactions

(i) Initial Recognition

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.

(ii) Conversion

Foreign Currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction and non-monetary items which are carried at fair value or similar valuation denominated in a foreign currency are reported using the exchange rates that existed when the values were determined.

(iii) Exchange Difference

Exchange difference arising on settlement of monetary items or on reporting company's monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognized as income or as expenses in the year in which they arise.

1.12 Provision, Contingent Liabilities & Contingent Assets Provision

Involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be outflow of resources. Contingent liabilities are not recognized, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognized, nor disclosed in the financial statements.

There is no contingent liability for the financial year 2012-13.

1.13 Employees Benefits

Provision for gratuity, leave encashment and other postretirement benefits as defined in Accounting Standard (AS)-15 is made on the basis of actuarial Valuation at the end of financial year. Provident fund liability is accounted for on accrual basis.

1.14 Miscellaneous

Prepaid and prior period expenses/income of items of Rs. 100,000/- and below are charged to natural heads of accounts in the year of payment/receipt.

(Amount in Rs.)

1. Notes on Accounts:

2.1 Earnings per Share (EPS)

(Allount in Re		
Particulars	2012-2013	2011-2012
a. Net Profit available for Equity Shareholders	(4,76,69,776)	(2,33,14,130)
 b. Number of Equity Shares used as denominator for calculation of EPS 	1,35,233	20,000
c. Basic and Diluted Earnings per Share of face value of Rs.1000/- each(previous year face value of Rs. 1000/- each)	(353)*	(1,166)



(रागि रु में)

* ब्यौरे नीचे दिए गए है

आवंटित शेयर की संख्या	आवंटन की तारीख	वित्त वर्ष की अंतिम तिथि	दिनों की संख्या	दिनों की कुल संख्या	सममूल्य शेयर
क	ख	ग	घ=(ग—ख)	ड.	कफ (घ∕ड.)
20000	विगत वर्ष	31/03/2013	365	365	20,000
30000	03/04/2012	31/03/2013	362	365	29,753
160000	17/09/2012	31/03/2013	195	365	85,479
2,10,000		कुल			1,35,233
वर्ष के दौरान हानि					(4,76,69,776)
ईपीएस प्रति शेयर					(353)

* details are here under

No. of Share Allotted	Date Of Allotment	Last Date of FY	No. Of Days	Total No. of days	Equivalent Shares
А	В	С	D=(C-B)	E	A X (D/E)
20000	Last year	31/03/2013	365	365	20,000
30000	03/04/2012	31/03/2013	362	365	29,753
160000	17/09/2012	31/03/2013	195	365	85,479
2,10,000		Total	·		1,35,233
Loss during the year					(4,76,69,776)
EPS Per share					(353)

2.2 लेखा परीक्षकों को भुगतान

निम्न के लिए लेखा परीक्षकों को भुगतान	वर्ष 2012-2013 के लिए	वर्ष 2011-2012 के लिए
लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में	25,000	10,000
व्ययों की प्रतिपूर्ति	शून्य	2,000
सेवा कर	3,090	1,483
कुल	28,090	13,483

2.3 विलम्बित कर परिसंपत्तियां (निवल)

विलंबित कर परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2013 तक
	धनराशि	धनराशि
मूल्यहास	शून्य	(13,580)
हानि के कारण	शून्य	32,65,853
कुल	शून्य	32,52,273

2.4 लेखाकंन मानक (एएस) 15 कर्मचारी लाभ के उपबंधों के अंतर्गत परिसमापन

विभिन्न निश्चित कर्मचारी लाभों का सामान्य विवरण नीचे दिए अनुसार है :

(क) सुनिश्चित अंशदान योजनाएं

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान :

कंपनी, नियोक्ता, भविष्य निधि संगठन की पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान करती है । इस वर्ष के लिए ईपीएफओ को 9,37,920 करोड़ रू. के अंशदान (पूर्ववर्ती वर्ष में शून्य) व्यय माना गया है और आय और व्यय के विवरण में इसे प्रभारित किया गया है ।

(ख) निश्चित लाभ योजनाएं :

i) उपदानः

कंपनी की एक निश्चित लाभ उपदान योजना है जो कि उपदान का

2.2 Payment to the Auditors

Payment to the Auditors as	For the Year 2012-13	For the Year 2011-12
As Audit Fee	25,000	10,000
Reimbursement of Expenses	NIL	2,000
Service Tax	3,090	1,483
Total	28,090	13,483

2.3 Deferred Tax Assets (Net)

Deferred Tax Assets	As at 31 March 2013	As at 31 March 2012
	Amount	Amount
Depreciation	NIL	(13,580)
On Account of		
Losses	NIL	32,65,853
Total	Nil	32,52,273

2.4 Disclosure under the provisions of accounting standard (AS) 15 employee Benefits'

General description of various defined employee benefits are as under:

a) Defined Contribution Plans:

Employer's contribution to Provident Fund:

The company pays fixed contribution to provident fund at a predetermined rates to Employees Provident Fund Organization. The contribution of Rs. 9,37,920 (Previous year NIL) to the EPFO for the year is recognized as expense and is charged to the Statement of Income & Expenditure.

b) Defined Benefits Plans:

i) Gratuity:

The Company has a defined benefit gratuity plan, which is



भुगतान अधिनियम 1972 के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती है। अवकाश नकदीकरण देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है।

ii) अर्जित अवकाश नकदीकरण :

कंपनी के कर्मचारियों के लिए निश्चित लाभ अवकाश नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे अर्जित अवकाशों के नकदीकरण के लिए कतिपय सीमाओं और इसके लिए विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

iii) बीमारी (चिकित्सा अवकाश) का नकदीकरण

कंपनी की अपने कर्मचारियों के लिए एक निश्चित अवकाश नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे बीमारी (चिकित्सा) अवकाश के नकदीकरण के लिए कतिपय सीमाओं और इसके लिए विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन पात्र हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है।

iv) सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम

कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी को कंपनी अस्पताल / पैनल अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे वाह्य रोगी के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपचार भी करा सकते हैं । सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा खर्चों के लिए देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है ।

v) सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता लाभ

कर्मचारियों के वेतनमानों (आईडीए पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशा—निर्देशों में शामिल है मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 30% तक अधिवर्षिता लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान जिसमें सीपीएफ, उपदान, अर्जित लाभ, चिकित्सा बीमारी अवकाश, अधिवर्षिता के बाद की चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल है। दिशा—निर्देशों के अनुसार सीपीएसई की इस संबंध में अपनी स्वयं की स्कीमें होती हैं। निगम पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए स्कीमों को तैयार करने की प्रक्रिया में है और वर्ष के दौरान 2,61,254 रू. का प्रावधान किया गया है ।

क्र.सं. विवरण धनराशि (रू. में) निश्चित अंशदान योजना –पीएफ 1. 6,80,591 निश्चित लाभ योजना –उपदान 2. 1,84,470 निश्चित लाभ योजना – ईएल 3,94,186 3. निश्चित लाभ योजना –एसएल (एमएल) 4. 1,80,984 निश्चित लाभयोजना –पीआरएमबी 5. 91,582 निश्चित लाभ योजना –पेंशन 6. 1,69,672 [(56,71,613) = मूल + महंगाई भत्ता] X30% |17,01,485

कंपनी ने निम्नलिखित लाभ के लिए प्रावधान किए हैं :

(क) वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रमुख वास्तविक पूर्वानुमान

क) आर्थिक पूर्वानुमान

विवरण	अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाम
i) रियायती दर	8
ii) भविष्य वेतन बढ़ोतरी	6
iii) योजना संपत्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर	0

regulated as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

ii) Earned Leave Encashment

The company has defined benefit leave encashment plan for its Employees. Under this plan they are entitled to encashment of earned leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

iii) Sick (Medical Leave) Encashment

The company has defined benefit leave encashment plan for its Employees. Under this plan they are entitled to encashment of Sick (medical) leaves subject to certain limits and other conditions specified for the same. The liability towards leave encashment has been provided on the basis of actuarial valuation.

iv) Retired Employee Health Scheme:

The Company has a Retired Employee Health Scheme, under which retired employee and the spouse are provided medical facilities in the company hospitals/empanelled hospitals. They can also avail treatment as Out-Patient subject to a ceiling fixed by the company. The liability towards the Post-Retirement medical expenses has been provided on the basis of actuarial Valuation.

v) Post-Retirement Superannuation Benefits

DPE Guidelines on Revision of Pay Scales (IDA Patterns) of employees include a provision for providing superannuation benefits upto 30% of basis pay & DA which include CPF, Gratuity, Earned Leave, Medical Sick Leave, Post superannuation medical facilities and Pension. As per guidelines, the CPSEs are to make their own schemes in this regard. The Corporation is in the process of formulating the schemes for post-retirement benefits of pension and medical facilities and a provision of Rs. 2,61,254 has been made during the year.

SI. **Particulars** Amount (Rs.) 1. Defined Contribution plan - PF 6,80,591 2. Defined Benefit Plan- Gratuity 1,84,470 3. Defined Benefit Plan - EL 3,94,186 4. Defined Benefit Plan - SL(ML) 1,80,984 5. Defined Benefit Plan - PRMB 91,582 6. **Defined Benefit Plan – Pension** 1,69,672 [(56,71,613) = Basic +D.A.] X 30% 17,01,485

The company has provided for following benefits:

A) Key Actuarial assumptions for Actuarial Valuation:

a) Economic Assumptions

Particulars	Earned Leave, Sick Leave & Post- Retirement Medical Benefits.
i) Discounting Rate	8
ii) Future salary Increase	6
iii) Expected Rate of return on plan assets	0



ख) डेमोग्राफिक अनुमान

i) सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60
ii) मृत्यु दर सारणी	आईएएलएम (1994–96)*
iii)आयु	निकासी
	दर (%)
30 वर्ष तक	3
31 से 44 वर्ष तक	2
44 वर्ष से अधिक	1

* भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर

31/03/2013 तक बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	सेवा—निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	उपदान
	अवधि की शुरूआत के रूप में				
(क)	बाध्यता का मौजूदा मूल्य (31.3.2012)	—	_	_	-
(ख)	अधिग्रहण समायोजन		—	_	—
(ग)	ब्याज लागत		—	_	—
(घ)	सेवा उपरांत लागत				
(ड.)	चालू सेवा लागत	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
(च)	कॉट–छॉट लागत ∕ (जमा	_	_	-	-
(छ)	व्यवस्था लागत ⁄ (जमा)	_	-	-	-
(ज)	प्रदत्त लाभ	_	-	-	-
(झ)	बाध्यता पर वास्तविक (लाभ) ⁄हानि	_	_	_	—
(স)	अवधि के अंत में बाध्यता की मौजूदा कीमत (31.3.2013)	3,94,186	1,80,984	91,582	184,470

दिनांक 31.3.2013 तक तुलन पत्र में अभिनिर्धारित की जाने वाली धनराशि और संबंधित विश्लेषण

सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं	उपदान
. ,	अवधि के अंत तक बाध्यता का मौजूदा मूल्य	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
(ख)	अवधि के अंत तक योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	—	—	-	_
(ग)	वित्त पोषित स्थिति	(3,94,186)	(1,80,984)	(91,582)	(1,84,470)
(घ)	अनुमानित से वास्तविक का आधिक्य	_	_	_	_
(ड.)	अनाभिज्ञात वास्तविक (लाभ) ⁄हानियां	_	_	-	-
(च)	तुलन पत्र में अभिनिर्धारित शुद्ध संपत्तियां / (देयता)	(3,94,186)	(1,80,984)	(91,582)	(1,84,470)

b) Demographic Assumption

i) Retirement Age (Years)	60
ii) Mortality Table	IALM (1994 - 96)*
iii) Ages	Withdrawal
	Rate (%)
Up to 30 Years	3
From 31 to 44 years	2
Above 44 years	1

* Indian Assured Lives Mortality

Change in present value of obligation as	s on 31/03/2013
--	-----------------

Sr. No.	Particulars	Earned Leave	Sick Leave	Post Retirement Medical Benefits	Gratuity
	Present value of obligation as				
a)	at the beginning of the period (31/03/2012)	-	-	-	-
b)	Acquisition adjustment	-	-	-	-
c)	Interest cost	-	-	-	-
d)	Past service cost				
e)	Current service cost	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
f)	Curtailment cost/(Credit)	-	-	-	-
g)	Settlement cost/(Credit)	-	-	-	-
h)	Benefits paid	-	-	-	-
i)	Actuarial (gain)/ loss on obligation	-	-	-	-
j)	Present value of obligation as at the end of period (31/03/2013)	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470

The amounts to be recognized in balance sheet and related analysis as on 31/03/2013

Sr. No.	Particulars	Earned Leave	Sick Leave	Post Retirement Medical Benefits	Gratuity
a)	Present value of obligation as at the end of the period	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
b)	Fair value of plan assets as at the end of the period	-	-	-	-
c)	Funded status	(3,94,186)	(1,80,984)	(91,582)	(1,84,470)
d)	Excess of actual over estimated	-	-	-	-
e)	Unrecognized actuarial (gains) /losses	-	-	-	-
f)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(3,94,186)	(1,80,984)	(91,582)	(1,84,470)



दिनांक 31.3.2013 तक लाभ तथा हानि के विवरण में अभिनिर्धारित व्यय

सं.	विवरण	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	सेवा–निवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं	उपदान
(क)	मौजूदा सेवा लागत	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
(ख)	सेवापरांत लागत				
(ग)	ब्याज लागत		—	_	—
(घ)	योजना संपत्तियों पर अनुमानित रिटर्न		_	_	_
(ड.)	कॉट–छॉट लागत ∕(जमा)	_	_	_	_
(च)	व्यवस्था लागत / (जमा)	_	—	_	-
(ন্ত)	अवधि में अभिनिर्धारित शुद्ध वास्तविक (लाभ) ⁄ हानि	-	_	_	—
(ज)	लाभ और हानियों के विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470

2.5 खंडवार सूचना

चालू वर्ष के दौरान बिकी से कोई आय नहीं हुई ।

2.6 संबंधित पक्ष के लेखा ब्यौरे

लेखाकंन मानक (एएस)–18 द्वारा यथापेक्षित 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन के ब्यौरे हैं :

- (क) संबंधित पक्षकार मुख्य प्रबंधन कार्मिक
- (ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक 24,94,889 रू. है। अन्य लाभ 8,35,664 रू. है जो कि वेतन एवं श्रमिक–स्टाफ के अंतर्गत शामिल है। (पूर्ववर्ती वर्ष: शून्य)

2.7 पूंजीगत वचनबद्धताएं लंबित निष्पादन, 3,74,220 रू. (पूर्ववर्ती वर्ष : शून्य)

- 2.8 कर्मचारियों, कार्यालयों और गेस्ट हाउस के आवासीय उपयोग के लिए परिसरों के संचालित पट्टों के संबंध में कंपनी में महत्वपूर्ण पट्टे व्यवस्थाएं हैं। ये पट्टेधारी व्यवस्थाएं जो कि गैर–निरस्त नहीं है आमतौर पर आपसी लाभ खर्चों द्वारा नवीकरणीय होती है, उनमें 2,34,77,511 के (पूर्ववर्ती वर्ष 45,84,288 / –रू.) आवासीय उपयोग के कर्मचारियों के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान और शुद्ध वसूली शामिल है। कार्यालयों और गेस्ट हाउस के परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतान किराए के रूप में दिखाया गया है।
- 2.9 संपत्तियों को हानि लेखाकंन मानक–28 प्रबंधन के मत में वर्ष के दौरान संपत्तियों को किसी महत्वपूर्ण हानि की कोई सूचना नहीं है ।
- 2.10 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम–2006 द्वारा यथापेक्षित सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के संबंध में 31 मार्च, 2013 तक सूचना

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान एमएसएमई के साथ कोई लेन–देन नहीं हुआ।

2.11 बोर्ड बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार निगम के पास उपलब्ध बचे हुए अवितरित धन को इस उद्देश्य के लिए सरकारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लघु अवधि जमा में आवधिक रूप से रखा गया है।

Expense recognized in the statement of profit and loss as on 31/03/2013

Sr. No.	Particulars	Earned Leave	Sick Leave	Post Retirement Medical Benefits	Gratuity
a)	Current service cost	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470
b)	Past service cost				
c)	Interest cost	-	-	-	-
d)	Expected return on plan assets	-	-	-	-
e)	Curtailment cost / (Credit)	-	-	-	-
f)	Settlement cost / (credit)	-	-	-	-
g)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	-	-	-	-
h)	Expenses recognized in the statement of profit & losses	3,94,186	1,80,984	91,582	1,84,470

2.5 Segment Reporting

There is no revenue from sales during current year.

2.6 Related Party Disclosure

As required by Accounting Standard (AS)-18 'Related Party disclosure', details of transaction with related parties are:

- a) Related Parties Key Management Personnel:
- Remuneration to key management personnel is Rs. 24,94,889. Other benefits of Rs. 8,35,664, is included in the respective heads under salary & wages –Staff, (Previous year: Rs. NIL).

2.7 Capital Commitments pending execution Rs. 3,74,220 (previous year Rs.NIL)

- **2.8** The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating leases of premises for residential use of employees, offices & guesthouse. These leasing arrangements, which are not non-cancellable, are usually renewable by mutual benefits expense include Rs. 2,34,77,511/- (previous year Rs. 45,84,288/-) towards lease payments, net of recoveries in respect of premises for residential use employees. Lease payments in respect of premises for offices & guesthouse shown as Rent.
- **2.9** Impairment of Assets Accounting Standard -28In the opinion of the management, there is no indication of any significant impairment of assets during the year.
- 2.10 Information in respect of micro and small enterprises as at 31st March, 2013 as required by Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

During the financial year 2012-13 there was no transaction with any MSME.

2.11 In accordance with approval of the Board in its Board meeting, surplus un-disbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits, taking into account the Government guidelines issued for the purpose.



वार्षिक रिपोर्ट 2012-13 ¦ Annual Report 2012-13

- 2.12 बोर्ड के मत में स्थायी संपत्तियों के अलावा सभी संपत्तियां और गैर–चालू निवेश, सामान्य व्यवसाय में बिकी होने पर उनसे प्राप्त मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दिखाए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए।
- 2.13 पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित और पुनः समूह में किया जा सकता है ताकि उनकी चालू वर्ष के साथ तुलना हो सके।

कृते सूद ब्रिज एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेट्स एफआरएन सं. 00350एन

For Sood Brij & Associates Chartered Accountants FRN No. 00350N

ए.के.सूद भागीदार

A.K. Sood Partner

1.11.4

पीएसआर मूर्ति कंपनी सचिव सदस्यता सं. ए5880

PSR Murthy Company Secretary Membership No. A5880

current year.

2.12 In the opinion of the Board, all the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments have a value on

2.13 Previous year's figures have been rearranged or regrouped

if realized in the ordinary course of business.

realization in the ordinary course of business at least equal

to the amount at which they are stated in the Balance Sheet

wherever necessary to make them comparable with the

कृते और निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of the Board of Directors

सी.कन्नन निदेशक, (वित्त) (डीआईएन सं. 06458185)

C. Kannan Director (Finance) (DIN NO.06458185)



तरूण कपूर प्रबंध निदेशक (डीआईएन सं. 00030762)

Tarun Kapoor Managing Director (DIN NO.00030762)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 9 जुलाई, 2013 Place : New Delhi Date : 9th July, 2013





सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम)

Solar Energy Corporation of India

(A Government of India Enterprise)

ATCENTCGATCO